झारखंड विजन तथा
कार्य योजना 2021
कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना

झारखंड सरकार ने राज्य का विजन तथा तीन साल की कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य विकास परिषद (एसडीसी) के तहत् श्री टी. नंदकुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त), भारत सरकार के पूर्व सचिव (सदस्य, राज्य विकास परिषद) की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया, जिसमें सदस्य के रूप में पद्मश्री अशोक भगत, श्री अमित खरे, विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग एवं विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में डॉ रमेश शरण, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र [वर्तमान में कुलपति (विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग)] तथा डॉ हरिश्वर दयाल, अर्थशास्त्री को सम्मिलित किया गया।

इस समिति को राज्य के विकास हेतु, अब तक हुए विकास, विद्यमान असमानताएं, भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से उत्पन्न संभावनाएँ तथा विकास की आवश्यकताओं को पृष्ठभूमि में रखते हुए, त्रिवर्षीय विज़न एवं कार्य योजना तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

पिछले तीन वर्षों की पहल और उसके सकारात्मक परिणाम ने हमें उच्च लक्ष्य निर्धारित करने तथा विकास की गति को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास दिया है। इस क्रम में हमने पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास विकल्पों की आवश्यकता को ध्यान में रखा है।

समिति ने राज्य सरकार की परिकल्पना को विकास के उद्देश्यों, प्राथमिकता निर्धारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया है। यह त्रिवर्षीय कार्य योजना, राज्य विज़न 2030 के परिकल्पना के अनुरूप है, जो अगले दशक में सतत् विकास के नींव का काम करेगी।

समिति ने सभी संबंधित विभागों के सचिवों, निदेशकों तथा अन्य तकनीकी कर्मियों के साथ विस्तृत विमर्श/ परामर्श भी किया है। समिति ने पूर्व योजनाओं से हट कर परिणामों (outcomes) पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया।

यह कार्य-योजना पूर्व के दस्तावेजों से निम्न कारणों से भिन्न है:

- यह योजना नागरिक केंद्रित है
- यह एक बजट दस्तावेज़ नहीं है जिसमें उदव्यय और लक्ष्य ही निर्दिष्ट हों; साथ ही यह पूर्व की भाँति एक पंचवर्षीय योजना भी नहीं है
- यह योजना परिणाम केन्द्रित है
- विभिन्न प्रमुख पहलों के तहत् तीन साल की अवधि के अंत में परिणाम स्पष्ट रूप से परिभाषित और व्यक्त किए गए हैं
- इनमें से अधिकतर परिणाम या तो सीधे या प्रॉक्सी के माध्यम से मापने योग्य हैं, साथ ही कुछ के परिणाम समय-समय पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा मापे जाएंगे
- अनुश्रवण सूचकांक विकसित किए गए हैं और वे इस कार्य योजना के अंग हैं
- यह कार्य योजना सरकार के संसाधनों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों / भागीदारों के साथ सहयोगी प्रयासों के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त करने का प्रयास है

यह दस्तावेज़ तीन भागों में है:

- भाग 1 कार्य योजना का विवरण,
- भाग 2 विशिष्ट परिणाम लक्ष्यों की रूपरेखा और अनुश्रवण सूचकांकों की विवरणी,
- भाग 3 विषयगत उद्देश्यों से जुड़ी योजनाओं का लक्ष्य

चूँकि नियमित रुप से प्रगति के आकलन हेतु आउटपुट को मापने की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें, परिणामों (Outcome) से अलग करने के लिए, मील के पत्थर (Milestones) के रूप में दर्शाया गया है। अनुश्रवण सूचकांक (Monitoring Index) को राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार आवधिक/ मध्यावधि सुधार लाने में मदद करने हेतु रूपांकित किया गया है।

इसके साथ ही कार्य-योजना में, प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए, आवश्यक तत्वों यथा संसाधन, अभिसरण और सुशासन पर भी अध्याय सम्मिलित किए गए हैं।

समिति का यह मानना है कि इनमें से कुछ परिणाम विभिन्न विभागों के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। अतः संबंधित विषय के तहत् इन्हें एकीकृत करने का प्रयास किया गया है। इस दस्तावेज़ में इन संबंधों को स्पष्ट किया गया है।

उपरोक्त दृष्टिकोण की सफलता के लिए विकास के विभिन्न पहलों में प्रभावी अभिसरण की अपेक्षा है। राज्य स्तर पर जबकि नीतिमूलक अभिसरण आवश्यक है तथापि जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तरों पर प्रभावी अभिसरण महत्वपूर्ण है। एतद् अपेक्षित अभिसरण एक पारंपरिक 'समन्वय समिति' के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है अपितु इसे उच्च स्तर से अभिप्रेरित करना होगा।

इस कार्य-योजना में क्षेत्रों, आबादी समूहों और अन्य वंचित वर्गों के संदर्भ में पूर्व में विकास के स्वरुप में असमानताओं को ध्यान में रखा गया है एवं इनपर विशेष ध्यान देने का सुझाव भी दिया गया है।

राज्य की प्राथमिकताओं को दर्शाने तथा परिणामोन्मुख दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस कार्य योजना दस्तावेज को विषयवार अनुभागों में विभाजित किया गया है।

समिति का मानना है कि यह कार्य-योजना मात्र सरकार के संसाधनों तक सीमित नहीं रहेगी अपितु इसमें संस्थागत ऋण के रूप में अतिरिक्त संसाधन, बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण, निजी निवेश, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि (CSR), व्यक्तिगत पहल, पी.पी.पी. परियोजनाओं आदि का भी समावेश होना चाहिए।

एतद् निरुपित कार्य योजना सिर्फ सरकारी योजना नहीं है अपितु यह योजना झारखंड की जनता के लिए है। योजना के प्रमुख संचालक के साथ ही राज्य सरकार का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि बड़ी संख्या में हितधारकों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाए।

समिति का मानना है कि झारखंड के नागरिक इस योजना के केंद्र बिंदु में हैं। अतः नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए विकास कार्यों पर व्यय होना है।

यह कार्य-योजना "हमेशा की तरह से गतिविधियों (Business as usual) की विधि से कार्यान्वित नहीं की जा सकती है। सरकार स्वयं सभी वांछित परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकती, अतः इसके लिए मानसिकता में बदलाव के अलावा सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता, नवाचार और प्रभावी भागीदारी की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और हितधारकों को इन परिणामों को हासिल करने के लिए रचनात्मक और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होगी। ऐसे परिवर्तन के लिए सरकार को एक अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत होगी।

प्रभावी, परिणामोन्मुख और पारदर्शी शासन इन परिणामों को प्राप्त करने की कुंजी है। अतः इस पर प्राथमिकता देते हुए ध्यान देने की जरूरत है। अच्छे कार्य को पहचाने जाने की जरूरत है, साथ ही जो परिणाम नहीं देते हैं, उन्हें बिना किसी संकोच के दंडित किया जाना चाहिए।

योजना के निरुपण, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण की पद्धत्तियों में परिवर्तन के लिए यह पहला प्रयास है; अतः यह दस्तावेज आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा।

इस कार्य योजना में दिए गए कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सकता है, प्रगति का अनुश्रवण किया जा सकता है तथा परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है।

टी. नन्द कुमार
अध्यक्ष
(उप समिति)

झारखंड की अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा कतिपय विकासत्मक अंतर

संदर्भ:

झारखण्ड, अपने गठन के समय ही, प्रमुख विकास संकेतकों में से कई में राष्ट्र स्तरीय औसत के पीछे था। तत्पश्चात विकास दर में कमी होने के बावजूद, इसमें सराहनीय प्रगति हुई है, परन्तु विकासात्मक अंतर यद्यपि कम हुआ है, तथापि वह अभी भी विद्यमान है। इसलिए, इन अंतरों को दूर करने तथा समग्र, समावेशी और सतत विकास प्राप्त करने के लिए, सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी स्रोतों के माध्यम से योजनाबद्ध प्रयासों की आवश्यकता है। वर्ष 2001-02 में स्थिर मूल्य पर, झारखंड का जी.एस.डी.पी. देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.68 प्रतिशत था। चूंकि, राज्य का विकास दर, अधिकांश वर्षों में देश के विकास दर से बेहतर रहा है, अतः वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढकर 1.84 प्रतिशत हो गया।

राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय विकास दर के विरुद्ध राज्य की प्रति व्यक्ति आय, जो 2001-02 में राष्ट्रीय औसत से 40 प्रतिशत कम थी, बेहतर वृद्धि दर के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 तक देश की तुलना में 30 प्रतिशत कम हो गयी। यदि राष्ट्र एवं राज्य वर्तमान दरों पर प्रगति कर रहे हों, (अर्थात्, भारत 6.76 प्रतिशत और झारखंड में 8.59 प्रतिशत प्रति वर्ष - अर्थात वर्ष 2012-13 और 2015-16 के बीच वे अपने-अपने औसत वृद्धि दर पर प्रगति करते हैं), तो झारखंड के लिए देश के प्रति व्यक्ति आय के स्तर तक पहुंचने के लिए 17 वर्ष (2034-35 तक) लगेगें। अतः वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए राज्य को 10 से 12 प्रतिशत की सीमा में अपनी विकास दर को गति देना होगा।

अच्छे प्रदर्शन के बावजूद झारखंड की विकास दर देश की तुलना में अधिक अस्थिर रही है। झारखंड की विकास दर की विविधता का गुणांक (Multiplier Coefficient) देश की तुलना में लगातार अधिक रहा है। राज्य के वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से कृषि (विशेष रूप से फसल क्षेत्र) और विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में उतार-चढ़ाव के कारण होता रहा है।

अतः उत्पादन में वृद्धि के अलावा, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि दर को स्थिर करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

असंतुलित (विकृत) उत्पादन और रोजगार संरचना (Distorted Production and Employment Structure):

राज्य में श्रमिकों की उत्पादकता में अत्यधिक प्रक्षेत्रीय अंतर है। कृषि प्रक्षेत्र, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रमिक लगे हैं, राज्य के जी.एस.डी.पी में केवल 16 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि खनन में केवल 2.3 प्रतिशत श्रमिक ही संलग्न हैं परंतु इस प्रक्षेत्र का जी.एस.डी.पी में योगदान लगभग 12 प्रतिशत है। विनिर्माण प्रक्षेत्र का जी.एस.डी.पी में योगदान लगभग 14 प्रतिशत है जबकि उसमें केवल 7.7 प्रतिशत (एन.एस.एस, 68वें दौर) कार्मिक ही अवशोषित हैं। आय एवं रोजगार में यह प्रक्षेत्रीय असंतुलन, राज्य में प्रचलित असमानता की ओर संकेत देने के अलावा, एक ओर कृषि प्रक्षेत्र में प्रच्छन्न (छुपी हुई) बेरोजगारी (Disguised Unemployment) के अधिक प्रभाव वहीं दूसरी ओर खनन एवं विनिर्माण क्षेत्रों की बहुत कम श्रम अवशोषण क्षमता की ओर संकेत करता है।

अतः कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की निर्भरता कम करने और विनिर्माण क्षेत्र के श्रम अवशोषण क्षमता में वृद्धि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि आधारित गतिविधियों तथा कम पूंजीगत सघन विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

झारखंड में विकास का स्वरुप बेरोजगारी और गरीबी की समस्या को हल करने में सक्षम नहीं रहा है। राज्य में बेरोजगारी एवं गरीबी मात्र राष्ट्रीय औसत से अधिक ही नहीं हैं अपितु इनमें राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बहुत धीमी गति से गिरावट आई है।

अधिकांश व्यक्ति जो नियोजित भी हैं उनमें से अधिकांश कम उत्पादक और कम आय वाली कमाई वाले व्यवसायों में लगे हैं, जहाँ गरीबी का प्रभाव बहुत अधिक है। कृषि प्रक्षेत्र में लगभग 45 प्रतिशत स्व-रोजगारियों तथा आकस्मिक/ सामयिक श्रमिकों में से 55 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। गैर-कृषि क्षेत्र में आकस्मिक श्रमिकों की स्थिति भी लगभग उतनी ही खराब है - उनमें से आधे से भी अधिक गरीबी से पीड़ित हैं।

गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए आवश्यकता है-

1. उचित कदम उठाकर कृषि प्रक्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों के आय में अभिवृद्धि तथा कृषि की उत्पादकता में वृद्धि,
2. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा देना,
3. अकुशल मजदूरों का कौशल विकास कर उनकी उत्पादकता और आय में सुधार, और
4. निवेश के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण, विशेष रूप से श्रम सघन उद्यमों में।

विकास अंतर (Development Gaps):

स्वास्थ्य, लैंगिक आधारित, शिक्षा, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से संबंधित अधिकांश विकास सूचकों में झारखण्ड, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों से पीछे है। राज्य ने इनमें से कुछ विकास संकेतकों में 2005-06 और 2015-16 (एन.एफ.एच.एस - 3 और एन.एफ.एच.एस - 4) के बीच प्रशंसनीय प्रगति की है। परिणामतः झारखंड और राष्ट्रीय स्तर के बीच के अधिकांश विकास संकेतकों में अंतर कम हो गया है परंतु राज्य को इस अंतर को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करना है।

राज्य के भीतर असमानता (Intra-State Disparities):

अधिकांश विकास संकेतकों में राज्य के जिलों, उनके प्रखंडों तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच व्यापक असमानताएँ मौजूद हैं। राज्य के वैसे जिले, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हुआ है या खनिज संसाधनों में समृद्ध हैं, वे बाकी की तुलना में अधिक विकसित हैं।

इस प्रकार राज्य का पूर्व से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व तक का गलियारा, जहां धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला-खरसावाँ और पूर्वी सिंहभूम जिले अवस्थित हैं, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में स्थित जिलों की तुलना में अधिक विकसित हैं।

हालांकि, विकसित जिलों के भीतर कम विकसित प्रखंड भी हैं तथा कम विकसित जिलों के भीतर विकसित प्रखंड भी हैं। उदाहरणार्थ, राज्य के उच्च विकसित जिलों यथा धनबाद तथा बोकारो में क्रमशः टुंडी एवं

चन्दनक्यारी जैसे कम विकसित प्रखंड हैं। दूसरी ओर कम विकसित जिलों यथा लोहरदगा तथा सिमडेगा में क्रमशः कुडु एवं बांसजोर जैसे विकसित प्रखंड अवस्थित हैं।

आम तौर पर, जिला मुख्यालय वाले प्रखंड बाकी की तुलना में तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं। तात्पर्य यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों के मामले में विकास के प्रतिफल जिले में मुख्य प्रखंडों तक ही सीमित रहे हैं। अतः विकासात्मक प्रयासों में इस क्षेत्रीय असमानता को ध्यान में रखना होगा।

सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर को ऊपर उठाने के साथ-साथ क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने तथा संतुलित एवं समावेशी विकास हेतु पिछड़े जिलों पर, प्रयासों के अभिसरण तथा एकीकरण के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

तदनुसार, नीति आयोग द्वारा चिह्नित देश के 115 पिछड़े जिले की सूची में शामिल राज्य के दो सबसे पिछड़े जिले (साहबगंज और पाकुड़), एक पिछड़े जिले (गोड्डा) और सोलह एल.डब्ल्यू.ई. जिले (लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग और खूँटी) में बदलाव हेतु विशेष पहल की जाएगी।

इसके अलावा, सभी 24 जिलों के द्वारा राज्य के इस मैक्रो विजन और एक्शन प्लान के अनुसार अपनी त्रिवर्षीय कार्य-योजना, एक साल के रोडमैप के साथ, तैयार की जाएगी जिसमें जिलान्तरिक (Intra-District) पिछड़ेपन को भी संबोधित किया जाएगा।

एक समग्र, समावेशी और स्थायी विकास के लिए सभी श्रोतों (सरकारी और गैर-सरकारी) के माध्यम से विभिन्न दिशाओं में नियोजित प्रयासों की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट / राज्य बजट के अनुरूप प्रारंभ किये जाने वाले कुछ **पहल**

महत्वाकांक्षी (Aspirational) जिलों का रूपांतरण

- **उन्नीस (19) महत्वाकांक्षी (Aspirational) जिलों की पहचान की गई है, जिसे आदर्श जिलों के रूप में विकसित किया जाएगा। जिलास्तरीय कार्य योजना तैयार की जाएगी (केंद्र + राज्य)**

ग्रामीण समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता

सभी गाँवों को 2019 से पूर्व खुले में शौच से मुक्त करना

80% परिवारों को 2020 तक पक्का घर

कम से कम 22 घंटे प्रति दिन की आपूर्ति के साथ सभी घरों के लिए बिजली

सभी योग्य परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

वर्ष 2020 तक बैंकों के 1600 नए ग्रामीण शाखाएँ

एस.एच.जी. के लिए संस्थागत ऋण की आसान पहुंच

पेंशन/ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत् योग्य लाभार्थियों का 100% आच्छादन

पी.वी.टी.जी. की सामाजिक सुरक्षा

18 लाख ग्रामीण परिवारों की आय में कम से कम 50% की वृद्धि

30 लाख परिवारों को समूहबद्ध करना

झारखण्ड देश के उन राज्यों में से हैं, जहाँ ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत बहुत अधिक है। अतः राज्य सरकार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के माध्यम से अपने नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि इस कार्य योजना के माध्यम से गरीबों और वंचितों के लिए लाभकारी और विविध जीवन यापन अवसरों के सृजन के साथ-साथ वंचनाओं को कम करने के लिए बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए तथा ग्रामीण विकास के प्रति अधिक समावेशी और परिणाम-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यापक, समावेशी और मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जाए।

वर्ष 2020-21 तक झारखंड का लक्ष्य है कि एच.डी.आई. रैंकिंग में अपने वर्तमान स्थिति, जो नीचे से 10 राज्यों के बीच की है, में सुधार लाकर राज्य देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो। राज्य यह स्वीकार करता है कि एच.डी.आई. रैंकिंग में यह सुधार 'ग्रामीण समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता' में ठोस सुधार के बिना संभव नहीं है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाया जाएगा:

1. **कृषि एवं गैर-कृषि आधारित आजीविका में वृद्धि:** राज्य द्वारा कृषि एवं गैर-कृषि आधारित आजीविका दोनों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अगले तीन वर्षों में 18 लाख ग्रामीण परिवारों की कमाई में कम से कम 50 प्रतिशत की आय बढ़ाने का लक्ष्य होगा। यद्यपि ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित गतिविधियों को मजबूत बनाना एक महत्वपूर्ण जरिया होगा परंतु इस आय के पूरक स्वरुप गैर-कृषि-आधारित आजीविका को एक प्रमुख रणनीति के रुप में अपनाया जाएगा।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य द्वारा मौजूदा 10 लाख परिवारों से बढाकर 60% ग्रामीण परिवारों (लगभग 30 लाख) का एसएचजी / वीओ / फेडरेशन के रुप में समूह बनाया जाएगा। इन समूहों को सामूहिक रूप से छोटे और बड़े उत्पादक समूह बनाकर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समेकित शक्ति का लाभ उठाने

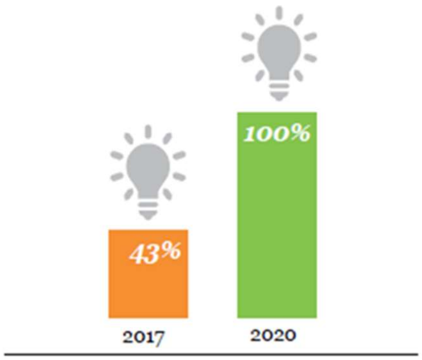

Rural Households with electricity

Rural households having treated tap water as the main source of drinking water (%)

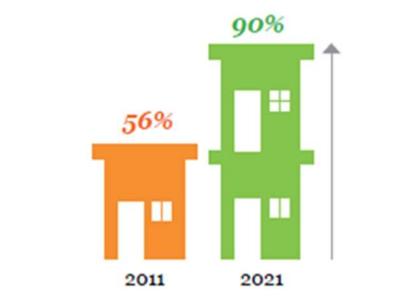

Affordable housing in rural areas

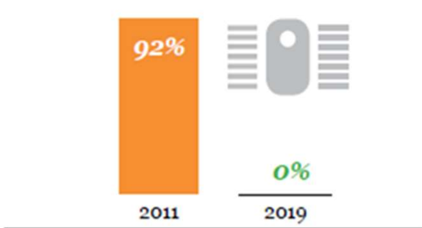

Rural households going for open defecation

में सहायता हेतु व्यक्तिगत उत्पादकों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने और उनके उत्पादों के लिए बेहतर कीमत तय कराने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।

2. कृषि और गैर-कृषि आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन, वानिकी, हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत उठाये गए कदमों के लिए एक अभिसरण कार्य योजना तैयार की जाएगी। इसी उद्येश्य से राज्य सरकार ने पूर्व में ही विश्व बैंक की सहायता से "जोहार" नामक परियोजना की शुरुआत की है। वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित किये गए कुछ प्रमुख लक्ष्य निम्न रूपेण हैं:

- मौजूदा और 56,000 नए माइक्रो उद्यमों के लिए तकनीकि सहायता और बाजार संबंध
- 23 लाख लाभार्थियों को आजीविका हेतु क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए शामिल करना
- 10,000 आजीविका समुदाय सेवा प्रदाताओं का एक सशक्त कैडर का निर्माण
- स्वैच्छिक समूहों को 2,500 करोड़ रूपए की संस्थागत ऋण सहायता प्रदान की जाएगी
- 1600 अतिरिक्त ग्रामीण बैंक शाखाएं स्थापित की जाएंगी
- 79,000 ग्रामीण युवाओं (30% से अधिक महिलाएं) का प्रशिक्षण

3. जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुँच: राज्य सरकार वैसी सभी बुनियादी सेवाओं, जो ग्रामीण झारखंड में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करे, को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हें ग्राफ में दर्शाया गया है।
4. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ: राज्य गरीबी उन्मूलन की रणनीति की कुंजी के रूप सभी कमजोर ग्रामीण परिवारों को आच्छादित करने में सामाजिक संरक्षण के महत्व को स्वीकार करता है। विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत् कुछ प्रमुख लक्ष्य निम्नवत होंगे:
   - मनरेगा के तहत् हर इच्छुक परिवारों के लिए 100 दिन का रोजगार प्रदान करना।
   - मनरेगा के माध्यम से गुणवत्ता युक्त व्यक्तिपरक और सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण
   - सभी योग्य परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए) और अभिवृद्धित/ परिष्कृत पी.डी.एस प्रणाली

(Enhanced PDS) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहुंच सुनिश्चित करना।

- राज्य में पोषण सुरक्षा की गारंटी के लिए वर्ष 2020 तक एकीकृत पोषण खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए तकनीकी लाभ उठाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और लड़कियों के समग्र विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की शत-प्रतिशत पहुंच प्रदान करना।
- सभी योग्य लाभार्थियों को मान्य पेंशन योजनाओं के तहत् का शत-प्रतिशत आच्छादन।
- सभी सरकारी सेवाओं की उपलब्धता की गारंटी देने के लिए झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 का सशक्तिकरण।

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के साथ ही उन्हें सभी जमीनी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी एवं कुशल संचालन के लिए विकेंद्रीकृत योजनाप्रणाली तथा कार्यान्वयन गतिविधियों का हिस्सा बनाने के लिए भी सशक्त बनाया जाएगा ताकि प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ सके।

कृषकों की आय को दोगुना करना

2020-21 तक 'सिंचाई क्षमता का उपयोग' को वर्तमान 5.03 लाख हेक्टेयर से बढाकर 8 लाख हेक्टेयर करना

2019 तक सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण एवं प्रत्येक तीन वर्षों में कार्ड का नवीकरण

निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए 2018 तक गोदामों और शीत भंडारों के लिए नीति का निर्धारण

शुद्ध बुआई क्षेत्र (Net Sown Area) को बढ़ाने हेतु 2021 तक 10 लाख हेक्टेयर परती भूमि को कृषि योग्य भूमि के रुप में रूपांतरण

कृषकों के बाजारों से संबंध का सुदृढिकरण; 2019 तक सभी ए.पी.एम.सी. को ई-नैम पर लाना

अजीवीय तनाव (Abiotic Stresses) के जोखिम को कम करने के लिए कृषकों को फसल बीमा के तहत् लाना

कृषकों के बाजारों से लिंकेज को सुदृढ़ बनाना

18 लाख परिवारों को पशुधन, मत्स्य पालन, एनटीएफपी, पारंपरिक आजीविका के श्रोतों के तहत् लाना

2021 तक 3 लाख कृषकों को रेशम उत्पादन से जोड़ना

झारखंड का लगभग 50% श्रमबल आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने वित्तीय यद्यपि वर्ष 2012 और वित्तीय वर्ष 2016 के बीच 5% से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, तथापि झारखंड में 45% से अधिक कृषक परिवार, एनएसएसओ डेटा (68 वें दौर, 2011-12) के अनुसार, गरीबी में रहते हैं, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। अर्थात् किसानों की आय काफी कम है। राज्य में वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना है, जिसका अर्थ है वर्ष 2020 तक लगभग 60% की वृद्धि लाना है।

उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्य-योजना में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में परिवर्तन लाने हेतु, एक मजबूत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गयी है। इसमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु किसानों को बाजारों तक पहुँच उपलब्ध कराने, बाज़ार संबंधों में सुधार, सतत /संधारणीय कृषि पद्धतियों के अपनाए जाने, कृषि विस्तार को मजबूत करने और जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन में सुधार लाने के उपाय शामिल हैं।

किसानों की आय वृद्धि हेतु पूरक के रुप में ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र का विस्तार करने की भी राज्य की योजना है। इन प्रक्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हासिल करने के लिए राज्य द्वारा वर्ष 2020-21 तक निम्नलिखित को प्राप्त करना लक्षित है:

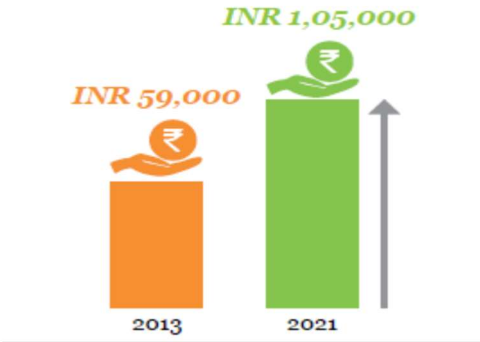

Increase in farmer income

1. शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि:
चूंकि, फसल की उत्पादकता सिंचाई पर निर्भर करती है; राज्य द्वारा वर्ष सिंचाई क्षमता का उपयोग 2020-21 तक मौजूदा 5.03 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 8 लाख हेक्टेयर किया जाना है। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने, मौजूदा जल भंडार एवं वितरण प्रणाली के जीर्णाद्धार, नवीनीकरण एवं जल प्रबंधन के उपाय जिसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र बढाकर पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाया जाएगा, के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। **जल** संचयन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

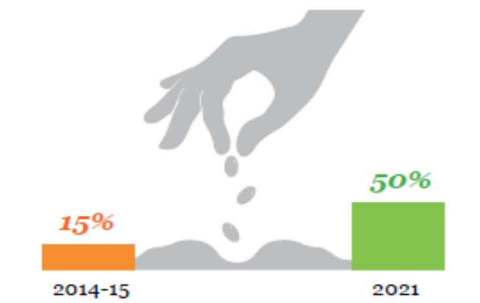

Seed Replacement Rate

2. बीज प्रतिस्थापन अनुपात में वृद्धि करना (Enhancing the seed replacement ratio)**:**
इसमें एक बड़ी वृद्धि, बेहतर किस्मों के प्रचार, बीज वितरण प्रणाली को सुद्दढ़ बनाने हेतु प्रत्येक जिले में पैक्स और लैंम्प (PACS & LAMPS) के साथ-साथ कृषि व्यवसाय केंद्र और कृषि चिकित्सा क्लिनिक की स्थापना, के माध्यम से किया जाएगा।

Irrigation Potential Utilized (lakh ha)

3. फसल की उत्पादकता में वृद्धि:
कृषि कार्य को सभी श्रेणी के कृषकों के लिए लाभकारी एवं सतत बनाने के लिए झारखंड में कृषि फसल उत्पादकता में वृद्धि लायी जाएगी। यद्यपि राज्य में वर्षानुवर्ष पूर्व की तुलना में वृद्धि हुई है, परंतु यह वृद्धि केवल मामूली रही है। वर्तमान में, दालों को छोड़कर, जिसमें उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर पाया गया है, अधिकतर अन्य फसलों की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, राज्य द्वारा निम्नलिखित पहल किया जाएगा:

4. सतत् कृषि:
राज्य द्वारा फसल उत्पादकता और स्थिरता में सुधार के लिए उचित मिट्टी प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए, राज्य सरकार जैव उर्वरकों और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के न्यायपूर्ण उपयोग के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना को बढ़ावा दे रही है। राज्य द्वारा पंरपरागत खेती विकास योजना के तहत् वर्ष 2018 तक 25 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्डों को वितरित करने तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्राकृतिक और जैविक खाद के उपयोग के माध्यम से मिट्टी की उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा देगा। वर्ष 2020 तक, 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को जैविक प्रमाण पत्र के अंतर्गत लाया जाएगा। राज्य द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से सटीक खेती (precision farming) के लिए पायलट प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जाएगा।

5. कृषि विपणन को सुदृढ़ बनाना:
राज्य द्वारा वर्ष 2019 तक सभी ए.पी. एम.सी बाजारों को ई-नैम पद्धत्ति पर लाया जाएगा। किसानों को अपने उत्पाद उपभोक्ताओं / व्यापारियों को पूरे देश में सीधे-सीधे बेचने और बेहतर कीमत दिलाने के लिए कृषक समूहों (कृषक **उत्पादक** कंपनी **सहित)** का गठन**/** आयोजन किया जाएगा। VEGFED (वेजफेड) सहित संगठित चैनलों के माध्यम से सामूहिक विपणन - सहकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाएगा।

फसल बीमा:
सूखा और बाढ़ जैसे आपदाओं के कारण उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए, राज्य 2020 तक प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत् किसानों का शत-प्रतिशत (100%) आच्छादन सुनिश्चित करेगा।

पशुपालन-आधारित आजीविका का विस्तार:
राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भधारण के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार एवं सुदृढीकरण, बैकयार्ड और अंडे के वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देने, पशु चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों के मोबाइल पॉलीक्लिनिक को मजबूत करने के साथ ही कृषक मित्र/पशु मित्र के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बीपीएल महिला / सखी मंडलों के लिए 30,000 क्रॉस / उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं को शामिल करने की भी योजना है।

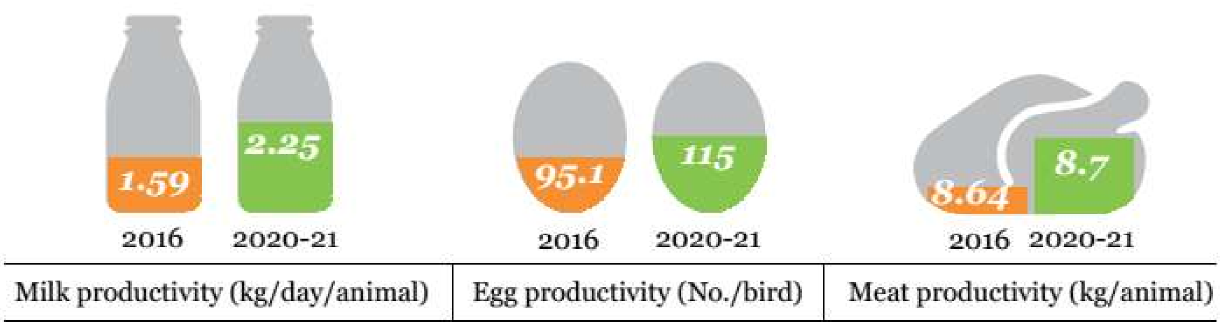

6. मत्स्य पालन:

राज्य ने अभी तक राज्य के अंदर विद्यमान मत्स्य पालन के विकास के लिए क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों तथा उनके उद्देश्यों के पूरक स्वरुप बड़ी संख्या में जलाशयों को विकसित किया गया है। पिछले 5 वर्षों (2011-12 से 2015-16) में राज्य का मछली उत्पादन, सीएजीआर 10% के दर से, 71.8 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 116 हजार मीट्रिक टन हो गया है। राज्य द्वारा जलाशयों के पुनुरुद्धार तथा पेन एवं केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन के विकास को जारी रखा जायेगा।

7. **कृषितर (off farm) आर्थिक गतिविधियों का समर्थन:** राज्य द्वारा रेशम उत्पादन, एन.टी.एफ.पी., हस्तकला और मशरूम की खेती, नर्सरी आदि जैसे वाणिज्यिक कृषि उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य द्वारा, जैसा कि 'ग्रामीण समृद्धि और जीवन की गुणवत्ता' अनुभाग में परिकल्पना की गई है, गैर-कृषि गतिविधियों के विभिन्न तरीकों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने की दिशा में कार्रवाईयाँ की जाएगी।

वर्ष 2018-2021 तक 3 लाख से अधिक किसानों, जिनमें से कम से कम 30% से 35% लाभार्थियों महिलाएं होंगी, रेशम उत्पादन में लगे हुए होंगे। झास्कोलैंप के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों, यथा युवा कौशल विकास योजना योजना के लाभूकों, के क्षमता निर्माण हेतु सम्यक गतिविधियाँ परिकल्पित एवं कार्यान्वित की जा रही हैं।

कृषि के ज्ञान को बढ़ाने और प्रबंधित करने के लिए, कृषि उद्योग में प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग करने के महत्व को राज्य सरकार स्वीकार करती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा, कृषि में चुनौतियों, यथा बेहतर किस्मों की अनुपलब्धता, फसल उत्पादन के पश्चात के नुकसान, मिट्टी की खराब गुणवत्ता, पानी का उपयोग करने की कम दक्षता आदि का सामना करने में, किसानों की मदद करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट / राज्य बजट के अनुरूप प्रारंभ किये जाने वाले कुछ पहल
कृषि

- वित्तीय वर्ष 2018-19 से पांच वर्षों की अवधि तक उपयुक्त/ योग्य गतिविधियों से प्राप्त लाभ के सम्बन्ध में 100 करोड़ रूपए वार्षिक टर्न ओवर वाली किसान उत्पादक कंपनीओं को शत प्रतिशत कटौती की अनुमान्यता **(केंद्र)**
- **सरकार द्वारा सभी कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा (केंद्र)**
- **मनरेगा तथा अन्य सरकारी कार्यकर्मों के सहयोग से वर्त्तमान ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि बाज़ार केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा (केंद्र)**
- **बड़े समूहों जिनका प्रत्येक का 1000 हेक्टर क्षेत्रफल हो, कृषक उत्पादक संघटनों एवं ग्रामीण उत्पादक संघटनों द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा (केंद्र)**
- **बांस (हरित सोना) के उत्पादन को बढ़ावा (केंद्र)**
- **वैसे स्थानों, जहाँ फल एवं सब्जियों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है वहाँ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा ताकि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके (राज्य)**
- **ताजा उपज के विपणन हेतु शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) सुविधा विकसित की जाएगी (राज्य),**
- **सब्जियों के स्थानीय भंडारण हेतु प्रखंड स्तर पर 100 कोल्ड रूम निर्मित किया जायेगा (राज्य)**

अगले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों श्रेणी के गरीबों में से कम से कम आधे को गरीबी रेखा से ऊपर लाना

30,000 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आजीविका तीव्रता कार्यक्रम के तहत् आच्छादित किया जाना

अभाव (Deprivation) को दूर करने हेतु 2020 तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पी.वी.टी.जी. की 70% आबादी को बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराना

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की साक्षरता को 65% तक बढाना तथा शत-प्रतिशत नामांकन सुनिशिचित करना

9 आदिवासी शहीद गांवों को "आदर्श गांव" के रूप में विकसित करना

झारखंड में 32 विभिन्न जनजातियों का निवास है, जिसमें राज्य की आबादी का 26% शामिल है। 50% से अधिक जनजातीय आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं और निर्वाह खेती (Subsistence Farming) पर आश्रित हैं। इनकी आय का कोई अन्य पूरक श्रोत नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च संकटग्रस्त पलायन (Distress Migration) होता है। 'अनुसूचित क्षेत्रों और अपवंचित समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जनजाति, पी.वी.टी.जी. समेत, के समग्र विकास सुनिश्चित करने' के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समावेशी विकास के एजेंडा को अपनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इसलिए राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में अनुसूचित जनजाति की लगभग आधी आबादी की गरीबी को कम करने के उद्येश्य से गरीबी कम करने के उपायों को लागू करेगी। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, पी.वी.टी.जी. समेत, के विकास के लिए समग्र नीति की संरचना/रुपरेखा को सशक्त करने तथा अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम का बेहतर कार्यान्वयन लक्षित है। अगले तीन वर्षों में, दावों के निस्तार में तेजी लाने के लिए, वैसे जिलों, जहाँ पी.ओ.ए. (SC & ST Prevention of Atrocities Act) के अधिक मामले हैं, में विशेष अदालतों की स्थापना की जाएगी।

गरीबी में कमी लाना:

गरीबों में से कम से कम आधे गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए अन्य सभी विकासात्मक पहलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थिओं पर ध्यान दिया जाएगा 2,000 गरीबों में से अति गरीब तथा 10,000 पी.वी.टी.जी. की पहचान कर उन्हें वर्ष 2020 तक लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से गरीबी से मुक्त करने हेतु समर्थ बनाया जाएगा। बुनियादी सेवाओं से संबंधित विभिन्न हस्तक्षेप किए जाएँगे-

- इन समूहों के शैक्षणिक और कौशल विकास संबंधी गतिविधियों/प्रयासों की दिशा में झारखंड के सभी जिलों में कल्याण गुरुकुल को लागू करने, 40 जनजातीय स्कूलों में व्यावसायिक कार्यक्रमों के संचालन तथा छात्रवृत्ति तक पहुंच प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पी.वी.टी.जी. समुदायों के अतिगंभीर स्वास्थ्य संकेतकों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में 5 अतिरिक्त मेसो अस्पताल चालू किए जाएंगे।

- आदिवासी कला, शिल्प, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने तथा सभी बुनियादी सेवाएँ/ सुविधाएँ प्रदान करने हेतु 9 आदिवासी शहीद ग्रामों को "आदर्श ग्राम" बनाया जाएगा।

जीवकोपार्जन:
जे.टी.ई.एल.ई.पी. (Jharkhand Tribal Empowerment & Livelihood Project) कार्यक्रम के तहत् 30,000 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सघन आजीविका कार्यक्रम के तहत् आच्छादित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण झारखंड के लिए व्यापक गैर-कृषि एवं कृषि आधारित आजीविका अभिवृद्धि योजना से भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सशक्त किया जाएगा।

जनजातीय आबादी पर लक्षित सभी हस्तक्षेपों के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया जाएगा तथा आजीविका के सतत विकास के लिए सामुदायिक संपत्तियों के सामूहिक स्वामित्व को सुनिश्चित किया जाएगा।

बेहतर शहरी जीवन

2022 तक सभी के लिए आवास

झारखंड को 2018 पूर्व खुले में शौच से मुक्त करना

सभी शहरी परिवारों को सुरक्षित पेयजल की पहुंच

2020 तक ठोस कचरे का शत-प्रतिशत संग्रह एवं सुरक्षित निपटान

सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को रुपांतरित करना

स्मार्ट आधारभूत संरचना का विकास करना

शहरी गरीबों को उज्जवल भविष्य के लिए कौशल प्रदान करना

वर्ष 2001 से 2011 तक झारखंड की शहरी आबादी में 32% की वृद्धि दर्ज हुई, जो वर्ष 2011 में कुल 7.9 मिलियन है। यह शहरी आबादी वर्ष 2031 तक दोगुना होकर 13.85 मिलियन होने की संभावना है। शहरीकरण की तीव्र गति को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक और सामाजिक समावेश के मापदंडों पर शहरों को विकसित करने, शहरी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर प्रदान करने के लिए करने बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। नागरिकों के लिए बेहतर शहरी जीवन हेतु राज्य सरकार निम्न प्रमुख विकास परिणामों को सुनिश्चित करेगी-

जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सेवाओं तक पहुंच के लिए राज्य सरकार सभी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड में शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में निम्न सहायक तत्व होंगे-

- कुछ समय पूर्व लागू की गयी झारखंड एफोर्डेबल शहरी आवास नीति 2016, जो अन्य लाभकारी प्रावधानों के साथ ही आवास के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए आरक्षण प्रदान करता है, के प्रावधानों का क्रियान्वयन एवं अनुपालन करना ।

- किफायती आवास परियोजनाओं के तहत् आवास इकाइयों का फास्ट ट्रैक निर्माण

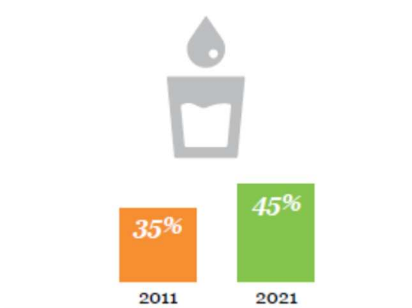

Urban households having treated tap water as the main source of drinking water (%)

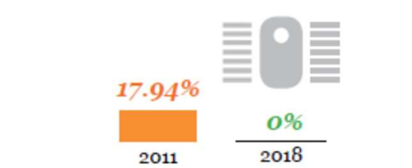

Urban Households going for open defecation

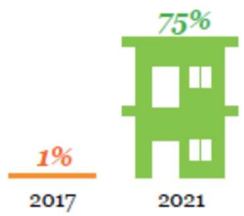

No. of EWS houses constructed as a % of total demand projected for 2022

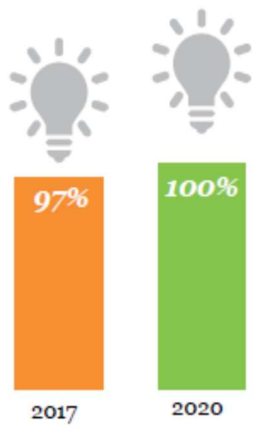

Urban Households with Electricity

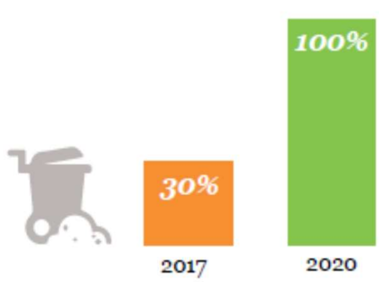

Household waste collection in urban areas

- शहरी क्षेत्रों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं का सृजन और स्वच्छ भारत मिशन तथा Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) अटल मिशन के तहत् स्केलिंग अप प्रयासों द्वारा वर्ष 2018 तक झारखंड के खुले शौच से मुक्त करना।
- भारत सरकार के अनुमोदनोपरांत रांची के लिए मेट्रो रेल परियोजना शुरू किया जाना
- 5 शहरों के लिए वाई-फाई-सक्षम स्मार्ट कॉलोनी पहल की शुरुआत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्मार्ट शहरों की सूची में रांची की भी मंजूरी
- एक कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के निर्माण के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना विकसित करना जिससे बहु-मॉडल लिंक (multi-modal linkages**)** और अंतिम माईल कनेक्टिविटी (last mile connectivity**)** प्रदान किया जाएगा**,**
- पैदल चलने की सुविधा में सुधार हेतु क्रॉसिंग की संख्याओं में वृद्धि, फुटपाथ के आकार में एवं गुणवत्ता में सुधार
- ठोस कचरे के शत-प्रतिशत 100% संग्रहण पर सरकार ध्यान केन्द्रित करेगी और वैज्ञानिक निस्तारण (Disposal) की क्षमता बढ़ाया जाएगा; यथा कचरों का पुनर्चक्रण (Recycling of Wastes) का प्रोत्साहन, कचरे से ऊर्जा परियोजनाओं आदि के लिए पी.पी.पी. मॉडल का उपयोग।
- बिजली तक पहुंच बढ़ाने के लिए संचरण नेटवर्क में विस्तार।

शहरी गरीबों के कौशल को बढ़ाकर से आजीविका विकास: कौशल विकास के अवसर सृजित करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है ताकि शहरी गरीब बाजार-आधारित रोजगार तथा स्व-रोजगार उद्यम स्थापित कर सकें। इस उद्येश्य की पूर्ति हेतु निम्न परिकल्पनाएँ की गयी हैं :

- एन.यू.एल.एम के तहत् वर्ष 2020 तक 300,000 लाभार्थियों के आच्छादन हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना तथा एन.एस.डी.सी. भागीदारों के साथ औद्योगिक संबंध बनाने एवं कुशल श्रमिकों की नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित करना।
- पी.एम.के.वी.वाई. और एस.जे.के.वी.वाई. के तहत् कौशल विकास (लक्ष्य और रणनीतियों को कौशल से संबंधित क्षेत्र में पर विस्तारित किया गया है)

- नगर निकायों के लिए पृथक-पृथक कौशल आवश्यकता/ अंतर का आकलन करना तथा उन प्रक्षेत्रों की पहचान, जहां प्रशिक्षण कौशल की आवश्यकता है,
- वर्ष 2020 तक 20,000 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और 250 क्षेत्रीय स्तर के संघों (Area Level Federations) का गठन।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच

वर्ष 2021 तक साक्षरता दर को 68% से बढाकर 90% करना

महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान देना

प्राथमिक स्तर के लिए 100% शुद्ध नामांकन अनुपात हासिल करना तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर अनुपात में 15% से अधिक की वृद्धि

सभी तक सार्वभौमिक पहुंच हेतु 2 से 7 किमी के भीतर सभी स्कूली शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध कराना

छात्र-शिक्षक अनुपात को घटाकर 45 करना

निरंतर समीक्षा और गहन अनुश्रवण के माध्यम से शिक्षा में उच्च गुणवत्ता एवं सीखने का परिणाम प्राप्त करना

8 इंजीनियरिंग कॉलेज, 8 पॉलिटेक्निक तथा चयनित प्रक्षेत्र में श्रेष्ठता केन्द्र (Centre of Excellence) की स्थापना

राज्य सरकार यह मानती है कि मानव विकास के लिए शिक्षा एक प्रमुख अवयव है अतः वर्ष 2020 तक 'सभी के लिए समग्र, समेकित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' का लक्ष्य है। साथ ही साक्षरता दर की मौजूदा 68% को अगले तीन सालों में 90% करने की राज्य सरकार की योजना है, जिसमें बालिका साक्षरता दर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा, बेहतर बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी (ICT), सक्षमता आईसीटी, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षण तथा शिक्षकों की क्षमता निर्माण के प्रावधानों के माध्यम से सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ठोस उपाय भी किए जाएंगे। इसे पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियां निम्नरुपेण हैं:

- नामांकन में वृद्धि तथा छीजन (Drop Out) को कम करना : वर्ष 2020 तक प्राथमिक-स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात (Net Enrolment Ratio) को शत-प्रतिशत करने तथा छीजन (Drop Out) को शून्य किये जाने का राज्य का लक्ष्य है। 'बाल संसद' तथा 'प्रयास' जैसे पहल की मदद से वर्ष 2017 तक उपस्थिति में 10% लाया गया है जिसे और सुदृढ़ किया जाएगा।
- बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण: 189 नए माध्यमिक विद्यालय और 280 नए उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना प्रक्रियाधीन है तथा शेष वर्ष 2020 तक स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के अधिकार के मापदंडों के अनुरुप उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक पहुंच में सुधार के लिए मौजूदा विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा।

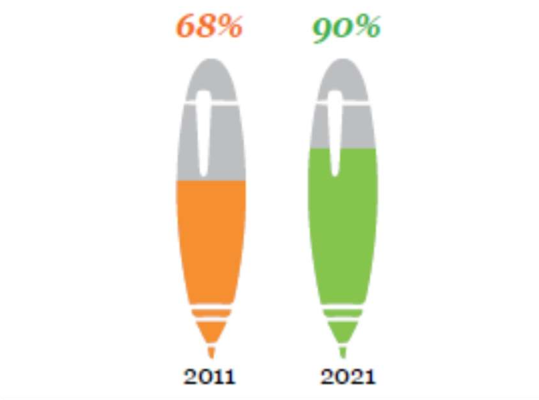

Total Literacy

Net Enrollment Ratio

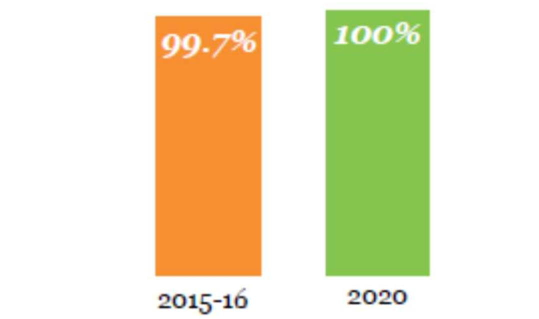

Elementary

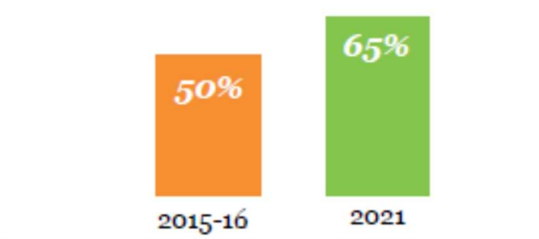

Secondary

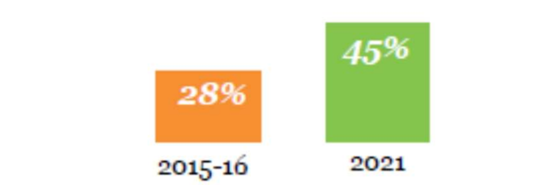

Higher Secondary

- आच्छादन तथा समावेशन को सुदृढ़ बनाना: सुदूर इलाकों, जिनमें तुलनात्मक रूप से सुविधाओं की कमी के कारण छीजन (विशेष कर अनुसूचित जनजाति एवं बालिका वर्ग के छात्रों में) अधिक है, में वर्ष 2020 तक सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराने का राज्य का लक्ष्य है। इस उद्येश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाऐंगे-
    - राज्य में 2 किमी के भीतर उच्च प्राथमिक, 5 किमी के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा 7 किलोमीटर के भीतर उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा का निर्माण।
    - लैंगिक समानता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं के लिए विशेष भत्ता और सुविधाएं प्रदान करना।
    - 'पहले पढाई, फिर बिदाई' अभियान, जिसका उद्देश्य लड़की की शिक्षा को बढ़ावा देना है, को जागरूकता बढ़ाने, नामांकन में वृद्धि लाने तथा छीजन को कम करने हेतु जारी रखा जाएगा।
    - सुविधाओं की कमी वाले (Underserved) क्षेत्रों के छात्रों के द्वारा शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हेतु छात्रावासों की स्थापना तथा प्रोत्साहन के लिए वृतिका (Stipend) प्रदान करना।
    - छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना।
    - पाठ्यक्रम की मांग के आधार पर, बहुभाषी शिक्षण पद्धत्ति को बढ़ावा देना तथा वैसे छात्रों, जो नियमित शिक्षण पद्धत्ति से पढाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा।

उच्च तथा तकनीकी शिक्षाः

राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा 14 विश्वविद्यालयों और 328 कॉलेजों (9 कॉलेजो प्रति लाख आबादी) के माध्यम से दी जा रही है। औसतन 1,716 छात्र प्रति कॉलेज दाखिला की स्थिति है। उद्योग, निजी क्षेत्र सहयोग के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता, नामांकन और समानता को बढ़ाने का राज्य का प्रमुख लक्ष्य है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को मौजूदा 15% को वर्ष 2030 तक बढाकर 35% तक लाएगी एवं इस हेतु वर्ष 2020-21 तक 18% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पहुंच में अभिवृद्धि और गुणवत्ता: राज्य द्वारा क्षेत्रीय संतुलन के साथ गुणवत्ता और पहुंच को सुदृढ करने हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों की बेहतर गुणवत्ता के लिए विभिन्न उपायों को जारी रखा जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नलिखित होंगे:

1. कम सुविधा वाले (Underserved Areas) क्षेत्रों में पी.पी.पी. के माध्यम से 8 इंजीनियरिंग और 8 पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
2. उद्योगों के सहयोग से उच्च विकास प्रक्षेत्रों में “उत्कृष्टता का केंद्र” (Centre of Excellence) की स्थापना
3. शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए चॉइस-आधारित क्रेडिट सिस्टम का कार्यान्वयन
4. उद्योग प्रासंगिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर संकायों का सतत् व्यावसायिक विकास
5. संकाय सदस्यों की उपलब्धि के अनुश्रवण हेतु वेब आधारित प्रणाली का कार्यान्वयन

कुशल कार्यबल और उद्यमशीलता को बढ़ावा

अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं तथा 2020 तक 8.5 लाख युवाओं का कौशल प्रशिक्षण

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा सहित सभी राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

रोजागारोन्मुखता (Employability) का आवधिक अनुश्रवण

मेगा कौशल केंद्रों की स्थापना, भारी मोटर ड्राइविंग के लिए प्रशिक्षण केन्द्र तथा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

24 ऊष्मायन केंद्र / उद्यमिता हब स्थापित करना

राज्य में प्रत्येक प्रखंड में आईटीआई का अभिनिश्चयन

प्रशिक्षुता (apprenticeship) के लिए उद्योगों के साथ भागीदारी

18,000 एचएमवी और 84,000 एलएमवी ड्राइवर का प्रशिक्षण

राज्य सरकार यह स्वीकार करती है कि समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कौशल और उद्यमिता का विकास महत्वपूर्ण हैं । अतः, झारखंड में कौशल विकास से संबंधित पहलों को उत्प्रेरित करने का लक्ष्य है, जिसका उद्येश्य लोगों को सशक्त बनाना है ताकि वे स्थायी आजीविका के अवसर और आर्थिक विकास के लिए उद्योगों की मांग के अनुकूल कौशल को प्राप्त कर सकें। इस दृष्टिकोण से राज्य ने अगले 3 सालों में अर्थात वर्ष 2020-21 तक 8.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को आच्छादित करने का लक्ष्य है। यद्यपि मजदूरीपरक रोजगार दिया जाना जारी रखा जाएगा, तथापि स्वरोजगार और उद्यमिता विकास के निर्माण पर बल दिया जाएगा। इसे दृष्टिगत् रखते हुए निम्नलिखित कार्रवाईयाँ की जाएगीं:

- पहुँच (Outreach) तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण: राज्य में विविध जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के कारण, युवाओं के द्वारा पूर्व से प्राप्त शिक्षा को मान्यता देने के साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण 18 लाइन विभागों के माध्यम से दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों यथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के साथ-साथ राज्य के क्योंकि सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना (एसजेकेवीवाई) जैसे कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाएगा जिनके माध्यम से अगले 3 वर्षों में 15 से अधिक प्रक्षेत्रों में 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को में प्रशिक्षित किया जाएगा।

- रोजगार में वृद्धि के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले वाहन चालक तैयार करने के लिए राज्य में 50 अतिरिक्त लाइट मोटर वाहन संस्थान (Light Motor Vehicle institutes)

तथा 6 भारी मोटर वाहन संस्थान (Heavy Motor Vehicles institutes) खोले जाएंगे, जिनके माध्यम से अगले 3 वर्षों में 18,000 एचएमवी (HMV) और 84,000 एलएमवी (LMV) कुशल और विश्वसनीय वाहन चालक उपलब्ध होंगे।

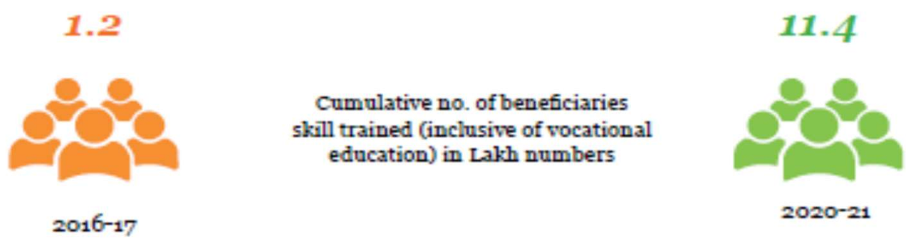

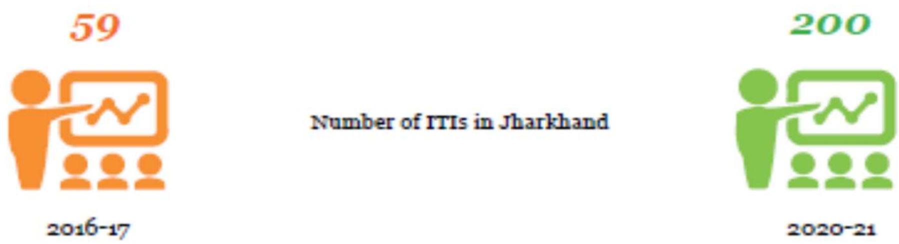

क्षमता वृद्धि और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना :

- सभी जिलों में लगभग 3,000 लाभार्थी/ प्रति वर्ष की क्षमता वाले मेगा कौशल केंद्रों की स्थापना की जाएगी
- 264 प्रखंडों में से प्रत्येक में आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आई.टी.आई. स्थापित किए जाएंगे
- विशेष कौशल के विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) की स्थापना की जाएगी
- प्रशिक्षकों तथा मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना की जाएगी
- स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि के तहत् सभी 24 जिलों में ऊष्मायन केंद्र (Incubation Centre) स्थापित किए जाएंगे।
- राज्य भर में उद्यमशीलता केन्द्र (ई-हब) स्थापित किए जाएंगे
- नियमित अनुश्रवण हेतु राज्य के मौजूदा श्रम बाजार सूचना प्रणाली (Labour Market Information System) के उपयोग के साथ ही हुनर [HUNAR Portal (Hallmarking of Unrecognized Novice & Amateur Resources)] को सशक्त किया जाएगा।

उद्यमशीलता विकास पर फोकस –

राज्य सरकार एम.एस.एम.ई. (MSME) प्रक्षेत्र की आवश्यकता के साथ ही उद्यमिता विकास के माध्यम आजीविका के अवसरों के सृजन की क्षमता को स्वीकार करती है। सकेंद्रित उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने के अलावा, राज्य सरकार 24 जिलों में ऊष्मायन केंद्रों (Incubation Centres) की स्थापना, उद्यमशीलता योजनाओं और पी.एम.ई.जी.पी., स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया के माध्यम से उद्यम एवं जागरूकता को बढ़ावा देने जैसे गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। साख (Credit) तक

आसान पहुंच और मजबूत बाजार संबंधों के माध्यम से अनुकूल वातावरण के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्राथमिकता के आलोक मेंउद्यमिता केन्द्र (ई-हब) की स्थापना की जाएगी।

राष्ट्रीय कौशल मानकों का पालन :
'एक राष्ट्र एक मानक' के मानक को प्राप्त करने के लिए, राज्य द्वारा भविष्य में सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाया जाएगा। सभी कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सामान्य मानदंडों का पालन किया जाएगा। समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के लाभार्थियों के साथ ही महिलाओं, विशेष कुशलता वर्ग (विकलांगों) का कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। सभी कौशल-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जीवन कौशल और रोजगार क्षमता कौशल को बढ़ावा देने के पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट / राज्य बजट के अनुरूप प्रारंभ किये जाने वाले कुछ पहल

उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास

सभी विश्वविद्यालयों में स्टार्ट-अप सेल की स्थापना की जाएगी (राज्य)

शिशु मृत्यु दर को 32 से घटाकर 25 प्रति हजार लाईव बर्थ करना

मातृ मृत्यु दर को 208 से घटाकर 175 प्रति लाख लाईव बर्थ करना

बच्चों में कुपोषण के दर को घटाकर 40% से कम करना

आईपीएचएस मानकों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड करना

स्वास्थ्य में निवेश को जीडीपी के 1% से अधिक की वृद्धि

राज्य के विकास में निरंतरता हेतु सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण तथा किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वैसे जिले एवं समुदाय / समाज, जो पीछे रह रहे हैं या जो सबसे अधिक प्रभावित हैं या गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे । इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली मुख्य रणनीतियां निम्नवत हैं:

- मातृ स्वास्थ्य में सुधार: मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए के लिए पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त की गयी गति को और दृढ़ता प्रदान की जाएगी। राज्य में मातृ मृत्यु दर को घटाकर 175 प्रति लाख जीवित जन्म से कम करने, अर्थात वर्ष 2020-21 तक वर्तमान स्थिति से 15% से अधिक की कमी लाने का लक्ष्य है। निम्न बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा-
    - गर्भावस्था का समय पर जल्द पंजीकरण, प्रसव पूर्व पूर्ण जांच, संस्थागत प्रसव और प्रसवकालीन जांच-पड़ताल के आच्छादन में वृद्धि।
    - सेवाओं की पहुँच (Outreach) तथा संस्थागत देखभाल के विस्तार एवं सुदृढिकरण हेतु पर्याप्त कुशल मानव संसाधन, सेवा सुविधाओं (रेफरल इकाइयों, बुनियादी और आपातकालीन प्रसूति देखभाल), चिकित्सा संबंधी आपूर्तियों और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

Infant Mortality Rate (per 1000 live births)

Maternal Mortality Rate (per 1000 live births)

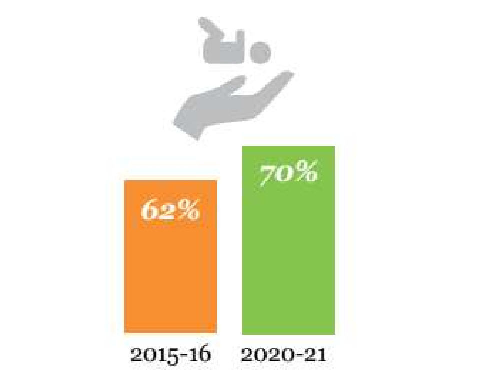

Institutional Delivery

- बाल स्वास्थ्य में सुधार: बाल स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता रहेगा। वर्ष 2020-21 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 प्रति हजार जन्म से कम तथा 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 32 प्रति हजार जीवित जन्म से कम करना लक्षित है, जिससे वर्तमान स्थिति में लगभग 20% की कमी होगी। राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए उन जिलों, जहाँ नवजात शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार जीवित जन्म से ज्यादा है, में विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- नवजात स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 तक 12 से 23 माह के बच्चों के पूर्ण प्रतिरक्षण को 70% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) के अंतर्गत वास्तविक समय अनुश्रवण (Real-Time Monitoring) करते हुए सात जिलों के 30 उच्च जोखिम वाले प्रखंडों में प्रतिरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- पोषण: पांच साल से कम उम्र के बच्चों में सामान्य से कम वजन की अवस्थिति को 40% से कम करने का राज्य का लक्ष्य है। परिकल्पित रणनीतियाँ एवं कार्य योजना निम्नवत हैं:
    - बच्चों और महिलाओं के लिए वर्ष 2020 तक समग्र पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए पोषण संबंधी 12 उच्च भार वाले जिलों (High Burden Districts) में बेहतर पोषण सेवा दिये जाने पर राज्य ध्यान केंद्रित करेगा।
    - किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच पोषण के लिए जीवनचक्र दृष्टिकोण (Life Cycle Approach) को बढ़ावा दिया जाएगा।

- संचारी और गैर-संचारी रोगों (Communicable and Non-Communicable Diseases) की व्यापकता को कम करना: राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्तमान रोग निवारण दृष्टिकोण के स्थान 'प्रतिरक्षात्मक' देखभाल की दिशा में बदलाव लाया जाए। इसे प्राप्त करने के लिए

विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाताओं को जोड़ने की रणनीति अपनायी जाएगी। विभिन्न आयोजित गतिविधियाँ निम्नवत होंगी-

- संचारी रोग: टीबी, वैक्टर बोर्न, कुष्ठ और एचआईवी / एड्स जैसे प्रचलित रोगों के निदान तथा उपचार सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
- सीधे अवलोकन से किए गए उपचार (Directly Observed Treatment), लघु पाठ्यक्रम (DOTS) के साथ ही उपचार अनुपालन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा।
- गैर-संचारी रोग: स्वास्थ्य के पर्याप्त संसाधन तथा मानवबल की उपलब्धता के माध्यम से सभी जिलों में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाया जाएगा।
- प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराके 25% से अधिक स्वास्थ्य उप-केंद्रों को वेलनेस सेंटर (Wellness Centre) के रूप में विकसित किया जाएगा।
- स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना: भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा अगले तीन वर्षों में मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने पर बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए कुशल मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए राज्य ने पूर्व में ही पहल की है। 1 मेडिकल कॉलेज, 1 दंत महाविद्यालय, 8 सामान्य नर्सिंग और प्रसूति शिक्षा (Midwifery) स्कूल और 15 सहायक नर्स प्रसूति शिक्षा (Midwifery) स्कूल वर्ष 2020-21 तक कार्यरत हो जाएंगे।

- स्वास्थ्य वित्तपोषण: मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से राज्य द्वारा वर्ष 2020 तक अपने सभी नागरिकों को, जिसमें 85% से अधिक गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा अन्य कमजोर वर्ग पर विशेष रुप से ध्यान दिया जाएगा, वित्तीय जोखिम संरक्षण कवरेज प्रदान करना लक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार धीरे-धीरे वर्ष 2020 तक स्वास्थ्य व्यय में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 1% तक वृद्धि करेगी। संसाधन की व्यवस्था के साथ ही गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी, बाहरी सहायता और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट / राज्य बजट के अनुरूप प्रारंभ किये जाने वाले कुछ पहल

स्वास्थ्य एवं पोषण

स्वास्थ्य सुरक्षा

- **भारत सरकार द्वारा लागू की जाने वाली आयुष्मान योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लक्षित गरीब तथा कमज़ोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रूपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी (केंद्र)**

आदिवासी क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के चिकित्सकों के द्वारा जनजाति क्षेत्र में अस्पताल खोलने हेतु बैंकों से 50 लाख रूपए तक की ऋण योजना लागू की जाएगी (राज्य)**

कुपोषण का उपचार

- **कुपोषण को कम करने के लिए JTELP परियोजना के तहत 400 गांवों में 48000 पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी (राज्य)**

शुद्ध पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच

शत प्रतिशत आबादि को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना

खुले में शौच से मुक्ति

30% ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली

सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम का कवरेज बढ़ाना

स्वच्छता पर गहन जागरूकता कार्यक्रम

सभी के लिए शुद्ध पेयजल और सतत स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना झारखंड राज्य का लक्ष्य है। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता की पहल को सुदृढ करने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्य पहल और रणनीतियां निम्न प्रकार हैं:

- पेयजल की पहुँच: राज्य द्वारा वर्ष 2020 तक अपने सभी नागरिकों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों निम्नवत हैं:
    - जल की उपलब्धता: ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइनों को बिछाने और जलाशयों, चेक डैम, वर्षा जल संचयन प्रणाली के माध्यम से पीने के प्रयोजन के लिए सतही जल (Surface Water) का अधिकतम उपयोग करना।
    - गुणवत्ता अभिनिश्चयन: वर्तमान जल उपचार संयंत्रों की क्षमता वृद्धि या सरकार के द्वारा अपने स्तर से या पी.पी.पी. / सामुदायिक स्वामित्व मॉडल के माध्यम से नए जल उपचार संयंत्रों की स्थापना।

- समुदायिक भागीदारी का अभिनिश्चयन: जलापूर्ति व्यवस्था के प्रबंधन हेतु पंचायत राज संस्थान तथा जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों की क्षमता वर्धन के साथ ही समुदायिक भागीदारी की व्यवस्था।

- पेयजलापूर्ति के सतत मॉडल की दिशा में नवप्रवर्तन (Innovations) तथा उनका रखरखाव।

- ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच शुद्ध पीने के पानी के उपयोग और लाभ के लिए व्यापक जागरुकता (IEC) एवं व्यवहार परिवर्तन (BCC) अभियान को बढ़ावा देना।

- संस्थागत सुदृढ़ीकरण: पेयजल और स्वच्छता विभाग की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इसकी कार्यात्मक समीक्षा तथा उचित सहायता प्रदान किया जाना।

- स्वच्छता में सुधार: झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों को 2019 तक खुले में शौच से मुक्ति (Open Defecation

Free) का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। 30% ग्राम पंचायतों तथा 50% नगर निकायों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करने का राज्य का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत शहरी परिवारों में अपशिष्टों का विच्छेदन (Segregation) तथा कम से कम 70% शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट उपचार (Solid Waste Treatment) सम्मिलित है। स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियाँ निम्नवत हैं:

- सुधारात्मक उपायों का आकलन करने तथा उन्हें प्रभावी करने हेतु जिला स्तर के कार्यबलों को सक्रिय कर अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
- ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के विकास के लिए नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ बनाना।
- पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित नवप्रवर्तन, क्षमता विकास एवं शोध के लिए क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना।

- शौचालय का निर्माण एवं उसके उपयोग हेतु जागरूकता:
  - खुले में शौच से मुक्ति (Open Defecation Free) कार्यान्वयन योजना के सुदृढीकरण के लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन संचरण (Social Behavioural Change Communication) जैसी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण में तेजी लाना।
  - पूर्ण स्वच्छता के लिए समुदायिक दृष्टिकोण को बढावा देने हेतु वार्ड जल स्वच्छता समिति की क्षमता वर्धन।
  - वैसे नगर निकायों, जो क्रमशः अगले तीन वर्षों और पांच वर्षों के लिए ओडीएफ स्थिति को बनाए रखते हैं, उनकी पहचान कर पुरुस्कृत करना।

- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन:
  - शहरी स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना
  - ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन-साइट कम्पोस्ट प्रणाली की स्थापना

ऊर्जा की उपलब्धता (Access) का अभिनिश्चयन

सभी के लिए बिजली की पहुँच तथा कम-से-कम 22 घंटे प्रतिदिन की आपूर्ति

कम से कम 8010 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ पर्याप्त बिजली उत्पादन

ए.टी.एण्ड.सी. क्षति (Loss) को 14% तक लाने तथा वितरण राजस्व से औसत विद्‌युत आपूर्ति लागत की वसूली

प्रतियोगी बिजली शुल्क (शीर्ष 5 राज्यों में)

दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँ के लिए ऑफ-ग्रिड ग्रामीण विद्‌युतीकरण और रूफटॉप सोलर सिस्टम

अक्षय स्रोतों (Renewable sources) के कम से कम 28% की स्थापित क्षमता के माध्यम से सतत ऊर्जा पहुंच

इ.सी.बी.सी./जी.एफ.बी.सी. मानकों के माध्यम से मांग पक्षीय ऊर्जा दक्षता

राज्य के त्वरित विकास के लिए ऊर्जा प्रक्षेत्र की आवश्यक एवं महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार एक सतत, उपयुक्त लागत वाली लचीली योजना के माध्यम से उपभोक्ता-केंद्रित बिजली व्यवस्था की स्थापना कर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सिर्फ कुछ सालों में ही 46% से 57% के विद्‌युतीकरण स्तर प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य को पूर्ण परिवर्तन के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का आत्मविश्वास मिला है। ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। ऊर्जा की आपूर्ति में कमी 3% से घटकर 0.6% हो गई है, साथ ही पिछले दो साल की अवधि के दौरान अधिकतम मांग में कोई भी कमी लगभग 2% अधिक की नहीं है। इस प्रक्षेत्र में दक्षता में बड़ी प्रगति प्राप्त करते हुए पिछले तीन वर्षों में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए.टी.एंड.सी) नुकसान 41% से घटकर 32% हो गया है। इसके आगे राज्य सरकार अपने ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है एवं तदनुसार वर्ष 2020 के लिए पांच मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गयी है:

1. सभी के लिए बिजली की उपलब्धता **(** ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 22 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 24 घंटे की औसत आपूर्ति अवधि का अभिनिश्चयन) - राज्य सरकार निम्न कार्यवाही की जाएगी:
   - सभी विद्‌युत रहित परिवारों (लगभग 34 लाख) तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना।
   - दूरस्थ तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ऑफ-ग्रिड ग्रामीण विद्‌युतीकरण और रूफटॉप सोलर सिस्टम (Rooftop Solar System)
   - संचरण नेटवर्क (Transmission Network) में 5,145 MVA से 21,395 MVA तथा वितरण नेटवर्क के लिए 1.36 लाख डीटी (Distribution Transformer) के माध्यम से 51,788 ckm लाइनों की स्थापना करते हुए विद्‌युतीकरण का विस्तार ।

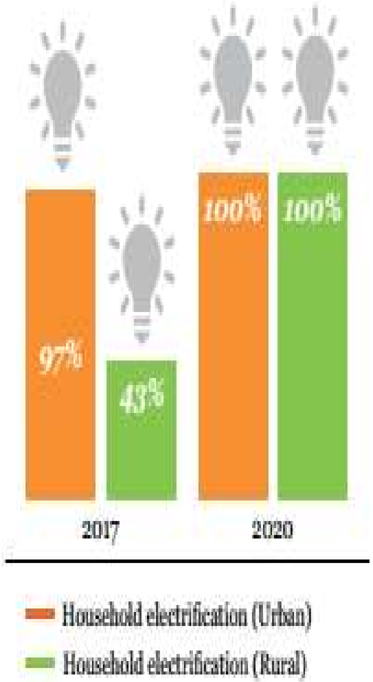

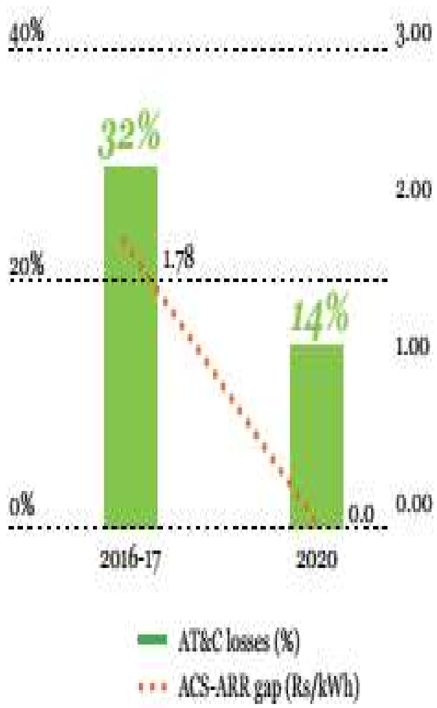

2. अत्याधुनिक बिजली वितरण आधारभूत संरचना: विद्युत आपूर्ति की तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता में सुधार के लिए राज्य द्वारा ए.टी.एण्ड.सी. क्षति (Loss) को वर्ष 2020 तक 14% तक लाने का लक्ष्य है ताकि औसत विद्युत आपूर्ति की लागत एवं औसत राजस्व प्राप्ति की आवश्यकता (ए.सी.एस. – ए.आर.आर. चालू वर्ष में रु. 1.78 प्रति युनिट) के बीच शून्य अंतर को प्राप्त किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फीडर मीटरिंग, फीडर अलग करना तथा उपभोक्ताओं की मीटरिंग उदय योजना के तहत् करना, वितरण नेटवर्क को IDPS के तहत् सुदृढ़ करना एवं निरंतर मीटरिंग का पर्यवेक्षक आदि लक्षित किए गए हैं।
3. आर्थिक विकास को सदृढ़ करने हेतु ऊर्जा की उपलब्धता के लिए आत्म निर्भर व्यवस्था बनाना- राज्य द्वारा इस तथ्य को दृष्टिगत किया गया है कि औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास के लिए ऊर्जा की उपलब्धता अत्यावश्यक है। इस आवश्यकता को चिह्नित करने के बाद राज्य द्वारा देश के प्रथम पांच राज्यों, जहाँ बिजली आपूर्ति की दर सबसे कम है, में स्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4. झारखंड राज्य को विद्युत उत्पादन में देश का पावर हब बनाना- झारखंड सरकार द्वारा पाया गया है कि निजी क्षेत्र के विद्युत उत्पादन में अग्रणी संस्थानों को आकृष्ट करने के लिए आकर्षक एवं उन्नत नीतियों की आवश्यकता है। अतः राज्य सरकार द्वारा उत्पादन के क्षेत्र में संशोधित ऊर्जा नीति तैयार करने का निर्णय लिया गया है ताकि वर्तमान 2231 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि कर वर्ष 2020 तक 8010 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। संशोधित ऊर्जा नीति द्वारा न सिर्फ नये निवेश होंगे बल्कि वर्तमान में चल रही परियोजनाओं में भी गति आयेगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य एवं केन्द्र प्रोजेक्ट मेनेजमेंट सेल का गठन एवं आर.ओ.डब्लू. (Right of Way) के लिए नीतियाँ बनायी जाएंगी।
5. ऊर्जा क्षेत्र में नवप्रवर्तन की अगुवाई- ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा नवप्रवर्तनीय तकनीक को अपनाने में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में राज्य द्वारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2020 तक 2240 मेगावाट की क्षमता वृद्धि का निर्णय लिया गया है ताकि आर.पी.ओ. (Renewable Purchase Obligation) तथा बाध्यकारी इ.सी.बी.सी. (Energy

Conservation Building Code) / जी.एफ.बी.सी. (Green Factory Building Code) की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ताकि Enhanced Demand Side Energy Efficiency को सभी रिहाइसी एवं वाणिज्यिक भवनों के लिए प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट / राज्य बजट के अनुरूप प्रारंभ किये जाने वाले कुछ पहल

अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy)

- **राज्य के 1000 सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया जाएगा (राज्य)**
- **राज्य में सिंचाई कार्य हेतु 2000 अदद सोलर पम्प का का अधिष्ठापन किया जाएगा (राज्य)**
- **राँची जिलान्तर्गत अंगडा प्रखंड में सिकिदिरी नहर पर 2 मेगावॉट क्षमता के कैनाल टॉप सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया जाएगा (राज्य)**

परिवहन संपर्कता (Connectivity) का विस्तार

एसएच-ओपीडब्ल्यूडी-एमडीआर सड़कों में अतिरिक्त 2600 किलोमीटर का विकास

2100 किमी एसएच-ओपीडब्ल्यूडी सड़कों का बहु-लेनींग

ग्रामीण सड़क प्रक्षेत्र में अतिरिक्त 17200 किमी का विकास और 10,800 किलोमीटर सड़क का सुधार

6 अतिरिक्त हवाई अड्डों का निर्माण/ उन्नयन

सड़क दुर्घटनाओं की वजह से मृत्यु दर में 50% तक की कमी

परमिट जारी करने और करों के संग्रहण की आईटी-सक्षमता

प्रमुख शहरी और ग्रामीण केंद्रों को जोड़ने के लिए 1750 से अधिक परमिट

लगभग 150 पुल और 7 बायपास का निर्माण / सुधार

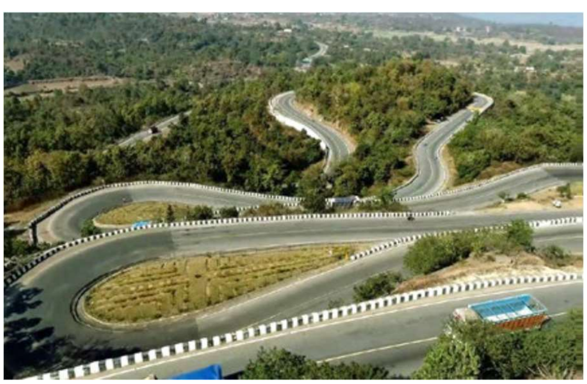

किसी राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए परिवहन की भौतिक आधारभूत संरचना एक प्राथमिक आवश्यकता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य का लक्ष्य है कि 'झारखंड में यात्रियों और माल की आवागमन के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और सुलभ परिवहन व्यवस्था प्रदान की जाए।

- सड़क नेटवर्क का विस्तार: एन.एच.-एस.एच.-ओ.पीडब्ल्यूडी नेटवर्क की कुल लंबाई गत 4 वर्षों में 6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को लागू करके ग्रामीण संपर्क पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
- एन.एच.ए.आई. को लगभग 688 किलोमीटर सड़क मार्ग के हस्तांतरण के बावजूद एसएच-ओपीडब्ल्यूडी नेटवर्क अकेले ही पिछले 4 वर्षों (2013-2017) के दौरान 6.7% की वार्षिक दर से बढ़ी है। इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व के कारण, प्रमुख रुप में मल्टी-लेनिंग पद्धिति से राज्य ने नई सड़कों का निर्माण और मौजूदा नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। चिह्नित मुख्य लक्ष्य निम्नवत हैं:
    i. अगले 3 वर्षों में लगभग 4,700 किलोमीटर सड़कों का विकास और सुदृढिकरण
    ii. लगभग 150 पुल और 7 बायपास का निर्माण / सुधार
    iii. ग्रामीण सड़क प्रक्षेत्र में अगले 3 वर्षों में लगभग 17,200 किलोमीटर सड़क का नवनिर्माण एवं लगभग 10,800 किलोमीटर में सुधार
    iv. वर्ष 2018 के अंत तक राज्य द्वारा एक कोर रोड नेटवर्क अध्ययन कराया जाएगा, ताकि अनुक्रमिक विकास को प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध तरीके से सड़क नेटवर्क को सुनिश्चित किया जा सके।
    v. ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निजी बस ऑपरेटरों के लिए अधिक परमिट जारी करना।
    vi. झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (State Highways Authority of Jharkhand) को पुनर्गठित एवं संस्थागत रूप से सुदृढ किया जाएगा।

vii. एक प्रक्रिया के अंतर्गत सड़क उपकर कोष (Road Cess Fund), का उपयोग सड़क नेटवर्क के सृजन / विस्तार के लिए किया जएगा।

- सड़क सुरक्षा: राज्य ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सड़क सुरक्षा योजना तैयार की है ताकि वर्ष 2020-21 तक तक सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारण होने वाले मृत्यु की कुल संख्या में 50% की कमी लायी जा सके।
- रेलवे और नागरिक उड्डयन सुविधाएं बढ़ाना: वर्ष 2020 तक हासिल किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्य और रणनीतियों:
  i. सभी मौजूदा रेलवे परियोजनाओं को पूरा करना तथा ब्रॉड गेज को 3,076 किमी तक बढाया जाना।
  ii. वर्ष 2020 तक राज्य के 22 जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ना।
  iii. राज्य में 6 हवाई अड्डों का नव निर्माण / नवीकरण।
  iv. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रुप में विकसित करने के उद्येश्य से राँची के हवाई अड्डा में मौजूदा सुविधाओं का वर्ष 2020 तक उन्नयन।

एच.एम.वी. / एल.एम.वी. संस्थानों का गठन तथा सेवाओं के आईटी-सक्षमीकरण (IT Enablement): वाहन उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु, राज्य अतिरिक्त एच.एम.वी. / एल.एम.वी. संस्थान का गठन करेगी ताकि अधिक निपुण चालक ड्राइवर तैयार किए जा सकें। साथ ही परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण जारी करने तथा फीस, टैक्स आदि के संग्रह की पूरी प्रक्रिया को आईटी-सक्षम (IT Enabled) बनाया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण

पोषण, बाल संरक्षण, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर गहन जागरूकता

बालिकाओं और महिलाओं को समान अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम माहौल एवं अवसर

योग्य लाभार्थियों की शत-प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कवरेज

श्रमजीवी जनसंख्या के 15-49 वर्ष आयु वर्ग में लगभग 50% महिलाएं सम्मिलित हैं इसके अतिरिक्त, जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए, युवा जनसंख्या में निवेश का महत्व है। अतः राज्य यह लक्षित करता है कि महिलाओं, बच्चों और अन्य कमजोर वर्गों के सशक्तीकरण तथा उनका उचित विकास, देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसे पूरा करने के लिए निम्न रणनीतियों (Strategy) तथा परिणामों (Outcome) को अपनाया जाएगा:

- बाल संरक्षण: बच्चों के किसी भी तरह के अहित को कम करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है। साथ ही अहितकर परिस्थितियों से उनकी सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा नेट से कोई भी बच्चा वंचित न रहे, इसके लिए भी राज्य प्रतिबद्ध है। इन लक्ष्यों को निम्न माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:
    - एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत् संस्थागत देखभाल को सुदृढ़ बनाना
    - बाल हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा करना
    - 'आफ्टर केयर' कार्यक्रम के तहत् किशोरों का लाभदायक रोजगार के लिए कौशल विकास मिशन के माध्यम से कौशल का विकास

- महिला सशक्तिकरण और संरक्षण: झारखंड राज्य का यह मत है कि महिलाओं एवं बालिकाओं को सम्माननीय कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने से समाजिक लाभ और आर्थिक विकास की संभावना है। महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने में राज्य की निम्नांकित प्रतिबद्धता हैं:
    1. जेंडर बजट: राज्य ने पिछले दो सालों से जेंडर बजट की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें वैसी योजनाएं, जिनमें महिलाओं के लिए घटक हैं, को लक्षित क्रियान्वयन / कवरेज के लिए चिह्नित किया गया है। जेंडर बजट के लक्ष्यों में लगातार प्रगति के आकलन हेतु मजबूत अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की जाएगी।
    2. महिलाओं को उनके स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित निर्णय लेने के लिए सक्षम करना: राज्य द्वारा आउटरीच सेवाओं को गति प्रदान किया जाएगा तथा महिला - केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

iii. महिलाओं के सशक्तिकरण पर जागरूकता उत्पन्न करना: जेंडर और महिला विकास / सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने के लिए राज्य द्वारा आई.ई.सी. (IEC) रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

iv. बालिका शिक्षा का संवर्धन: महिला साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करके पुरुष तथा महिला साक्षरता के बीच साक्षरता अंतर को कम करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है; साथ इस दस्तावेज में उल्लिखित कई रणनीतियों के माध्यम से महिला साक्षरता में 20% की वृद्धि का लक्ष्य है।

v. कौशल विकास तथा कार्यबल में भागीदारी:- कार्यबल में भागीदारी दर (डब्ल्यू.पी.आर.) बढ़ाने तथा महिलाओं की बेरोज़गारी दर को कम करने के लिए, उन्हें उन कौशल विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा जिनकी मांग उभरते हुए रोजगार क्षेत्रों में ज्यादा है। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए बराबरी (Equal) एवं सुरक्षित (Safe & Secure) कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

vi. महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा इस दस्तावेज़ में पूर्व उल्लिखित रणनीतियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

इन पहलों की गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, सेवा प्रदायी केन्द्र (ए.डब्ल्यू.सी., आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत संस्थागत देखभाल केन्द्र, महिला हॉस्टल और अन्य सेवा संस्थान) का एक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली, जो सकारात्मक सुधारों से जुड़ी होगी, स्थापित की जायेगी।

पोषण, संरक्षण, सशक्तिकरण तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न लाइन विभागों, विकास भागीदारों, सिविल सोसाईटी एवं प्रमुख हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय और अभिसरण की आवश्यकता है। समग्र क्रियान्वयन रणनीति के अंतर्गत, राज्य द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर अभिसरण तंत्र विकसित किया जाएगा।

रोजगारोन्मुखी औद्योगिक विकास

ग्रामीण उद्यमों के विकास के लिए हर साल 10 अतिरिक्त क्लस्टर्स को अपना कर ग्रामीण औद्योगीकरण पर ध्यान केंद्रित करना

विकास को बढावा देने हेतु राँची तथा पूर्वी सिंहभूम में एमएसएमई स्टार्ट अप वातावरण का निर्माण

वर्ष 2020 तक 7000 इकाइयों के 20 क्लस्टर्स का विकास और एमएसएमई की क्षमता का विकास

अगले तीन सालों में पारंपरिक हस्तकला और लाह उद्योगों में 5000 ग्रामीण उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना

2020 तक 25,000 बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गोड्डा में मेगा हथकरघा क्लस्टर की स्थापना

2018 तक 2 खादी पार्कों का विकास (दुमका एवं राजनगर में)

गेतलसुद में मेगा फूड पार्क के संचालन और झारखंड में तीन अतिरिक्त फूड पार्क स्थापित कर फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान केंद्रित करना

औद्योगिक केंद्रों के आस-पास सहायक उद्यमों के विकास के लिए सक्षम वातावरण का निर्माण

3 लाख रेशम कृषकों की सहायता हेतु एक अभिनव विपणन तंत्र की स्थापना

उद्योग प्रक्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा इसकी रोजगार सृजन के लिए भी अनिवार्यता है। अतः राज्य का लक्ष्य है कि राज्य में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना, सतत निर्माण उद्योग का विस्तार, ग्रामीण औद्योगिकीकरण की क्षमता का दोहन करने के साथ ही नवाचार को बढावा दिया जाए ताकि विभिन्न प्रक्षेत्रों में अनुकूल, अभिनव और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल प्रदान करके रोजगार के अवसर पैदा किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ निम्नवत हैं-

- एम.एस.एम.ई. और ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर प्रमुखता: सरकार एम.एस.एम.ई. तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसके निम्नलिखित पहल किए जाएगें:
- खादी और पॉलीवस्त्र के लिए कारीगरों को बाजार विकास सहायता (Market Development) प्रदान की जाएगी।
- ग्रामीण उद्यमों, छोटे और सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए प्रति वर्ष 10 अतिरिक्त क्लस्टर्स (Clusters) को अपनाना।
- बड़े निजी क्षेत्र के खरीदारों से संपर्क स्थापित करके इन समूहों को अग्र संयोजन (Forward Linkage) की सुविधा प्रदान करना।
- वर्ष 2020-21 तक 7000 इकाइयों के 20 ऐसे क्लस्टर्स (Clusters) का विकास करना और एम.एस.एम.ई. की क्षमता का विकास करना।
- पारंपरिक हस्तकला के विकास के लिए झारखण्ड हस्तशिल्प विकास बोर्ड की स्थापना और हजारीबाग, गिरिडीह और देवघर में शहरी हाट का सुदृढ़ीकरण।
- पारंपरिक हस्तकला एवं लाह उद्योग तथा अन्य ग्रामीण कुटीर उद्योगों के विकास के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी विकास बोर्ड की स्थापना। यह वर्ष 2020-21 तक 5000 ग्रामीण उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिसके परिणामस्वरूप 25,000 लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।
- 25,000 बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गोड्डा में मेगा हस्तकरघा क्लस्टर की स्थापना।

- वर्ष 2021 तक 3 लाख से अधिक किसानों को रेशम उत्पादन में शामिल करने के साथ ही इनमें कम से कम 30% से 35% महिला लाभार्थियों को सम्मिलित करना।
- वर्ष 2020-21 तक 315 सामान्य सुविधा केंद्र के 9,000 से अधिक महिला लाभार्थियों को रीलिंग और स्पिनिंग में तीन महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और आने वाले वर्षों में इस पहल को और मजबूत किया जाएगा।
- राज्य स्तरीय कौशल विकास पहलों के समन्वय के लिए झारखंड कौशल विकास मिशन को सुदृढ़ बनाना जिससे 2020-21 तक लगभग 50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जा सकेगा।
- वर्ष 2020-21 तक 30 से अधिक ऊष्मायन केंद्र (Incubation Centre) स्थापित करना।

सक्षमकारी आधारभूत संरचना- कम पूंजी निवेश के साथ उद्योग की स्थापना एवं उनके बाधारहित संचालन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आधारभूत संरचना का होना अनिवार्य है। भौतिक आधारभूत संरचना यथा सड़क, रेल तथा हवाई यातायात आदि की उपलब्धता उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करेगी। अतः राज्य द्वारा अपनाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

a. साहबगंज में बहु-मोडल टर्मिनल का विकास।
b. जियाडा द्वारा नए और मौजूदा औद्योगिक प्रतिष्ठानों / पार्कों के लिए भूमि ज़ोनिंग योजना ।
c. संपर्क सड़कों, हाई टेंशन विद्युत कनेक्शन एवं जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए 10,000 एकड़ भूमि का लैंड बैंक का विकास।
d. सार्वजनिक, पी.पी.पी., जे.वी. मोड के अंतर्गत क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक पार्क (प्लास्टिक पार्क, ई.एम.सी., फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क आदि) स्थापित करना।
e. आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का विकास।
f. निवेशकों और अन्य हितधारकों को औद्योगिक पार्कों, प्रतिष्ठानों आदि के विकास में निवेश करने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करना।
g. निर्यात और हाई-स्पीड फ्रेट और यात्री ट्रेन सेवाओं की सुविधा के लिए टाटानगर में स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को सुदृढ़ करना।
h. इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो झारखंड से होकर गुजरती है तथा सभी उत्तरी राज्यों को जोडने के साथ ही बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी प्रदान करती है, की शीघ्र शुरुआत।
i. कोलकाता, हल्दिया और पारादीप बंदरगाहों तक सड़क और रेल संपर्क को सुदृढ़ करना।
j. ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड कम्युनिकेशन, डाटा कनेक्टिविटी, 4 जी, इत्यादि के विकास से संबंधित एजेंसियों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करना।

व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business): झारखंड सरकार ने व्यापार के विकास एवं विस्तार तथा उद्यमियों के लिए व्यापार लेनदेन लागत को कम करने के लिए व्यापार सुगमता की प्राथमिकता दी है।

खनन गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना: झारखंड में भारत का सबसे बड़ा खनिज संसाधन (लगभग 87 बी.टी.) है तथा झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र होने के साथ ही यह राज्य जीएसडीपी में इसका लगभग 10% का योगदान है। राज्य के लिए प्रमुखता वाले क्षेत्रों में सतत, कुशल तथा किफायती खनन के साथ-साथ खनिज वस्तु की विस्तृत सूची (Inventory) का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण भी होगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र होंगे:

a. जी.डी.पी. में योगदान को बढ़ाकर लगभग 12% करना। खनिज क्षेत्र से राजस्व को वर्तमान 4,771 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2020 तक 6,000 करोड़ रु. करना।

b. खनन के लिए भूमि की उपलब्धता में अभिवृद्धि: ऐसे क्षेत्रों में जहां, निजी पार्टियों द्वारा भूमि स्वामित्व संभव नहीं है, खनन में पी.पी.पी. मोड विकसित और अपनाया जा सकता है।
c. जीआरआई आधारित प्रोत्साहन: राज्य द्वारा, खनिक को प्रोत्साहित करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए जीआरआई मानकों को अपनाया जाएगा।
d. खनिज प्रशासन प्रणाली के साथ सिंगल विंडो को एकीकृत करना।
e. स्थानीय कर्मचारियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए खनन का उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित करना।
f. स्वचालन को बढ़ावा देने के लिए कार्यों में Artificial Intelligence और रोबोटिक्स का उपयोग।
g. जिला मिनरल फंड के उपयोग, खनिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जीरो-वेस्ट माईनिंग तथा जल के पुनर्चक्रण (Recycling of Water) के लिए नीतिपरक, विधिक, नियामक तथा संस्थागत फ्रेमवर्क का विकास।

पर्यटन: झारखंड राज्य में आय और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन प्रक्षेत्र में प्रमुख स्रोतों में से एक होने की संभावना है। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय के सहयोग स्थापित कर, कई स्थानों का राज्य द्वारा एकीकृत और सतत विकास किया जाएगा यथा देवघर में बैद्यनाथ धाम, शक्ति सर्किट (देवरी मंदिर, राजपपा मंदिर, इटखोरी और कौलेश्वरी मंदिर) तथा शिव सर्किट (देवघर, बसुकिनाथ, दुमका और मलूटी मंदिर)। इसके अतिरिक्त, हेरिटेज एवं पर्यावरणीय (Eco) पर्यटन, जहां पर्याप्त संभावनाएँ उपलब्ध है, को भी राज्य द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पर्यटन विभाग की सक्रिय पहल के परिणामस्वरूप अगले 5 वर्षों में लगभग 20-40% पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट / राज्य बजट के अनुरूप प्रारंभ किये जाने वाले कुछ पहल

उद्योग

- **राँची तथा खरसावाँ में PPP मोड में सिल्क पार्क की स्थापना की जाएगी (राज्य)**

सतत् वन प्रबंधन

जल संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य में वनाच्छादन में वृद्धि

33% का आच्छादन प्राप्त करने हेतु वन के घनत्व को बढ़ाना

राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार बांस का उच्च तकनीक नर्सरी

एन.टी.एफ.पी. आधारित रोज़गार के अवसरों में वृद्धि

बाध तथा हाथी का संरक्षण

वन और वन्यजीव संरक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग

2020 तक अपग्रेडेड एस.ए.पी.सी.सी. की शत-प्रतिशत उपलब्धि

रोज़गार के लिए बाँस को बढ़ावा देना

राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों के प्रक्षेत्र पर बड़ी निर्भरता को दृष्टिगत् रखते हुए, राज्य, वनों के सतत संरक्षण और प्रबंधन, वन आच्छादन बढ़ाने तथा जल संरक्षण एवं वनों के माध्यम से पुनःपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा प्रमुख परिकल्पित गतिविधियाँ निम्नवत हैं:

1. मुख्यमंत्री जन-वन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से 33% की वृद्धि दर हासिल करने के लिए वन आच्छादन के घनत्व को बढ़ाना।
2. सामुदायिक साझेदारी को बढ़ाना: संयुक्त वन प्रबंधन (जे.एफ.ए.म) समितियों और ग्राम वन प्रबंधन और संरक्षण समितियों (वी.एफ.एम.पी.सी.) का विस्तार; डिग्रेडेड और बंजर भूमि में बायो ईंधन उत्पादन के उपयुक्त पौधों, पेड़ / फसलों और ईंधन को पैदा करना; राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार बांस उच्च तकनीक नर्सरी की स्थापना।
3. वन्यजीव संरक्षण: पिछले दशकों में राज्य के बाघ तथा हाथी की जनसंख्या में कमी आई है। अतः राज्य द्वारा टाइगर परियोजना और हाथी परियोजना को सुदृढ किया जाएगा।
4. लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी: मैनुअल निर्भरता को कम करने और विभाग की गतिविधियों की सटीकता में वृद्धि के लिए जमीनी स्तर के संचालन में आई.सी.टी. को एकीकृत करना।
5. जलवायु परिवर्तन पर सम्यक कार्रवाई करना:
   a. जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य कार्य योजना के मुताबिक जलवायु परिवर्तन प्रभाव से निपटने और इसे कम करने के लिए 'झारखंड राज्य जलवायु परिवर्तन क्रिया इकाई' को मजबूत किया जाएगा;
   b. जलवायु परिवर्तन से निपटने और जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला प्रबंधन योजना लागू की जाएगी।
   c. बाँस (हरित सोना)**:** बाँस का उत्पादन और मूल्य वृद्धि को के लिए विशेष प्रयास किये जाएंगे।

संसाधन पूर्वानुमान

झारखंड राज्य के विकास के लिए, राज्य और केंद्र सरकार, वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय एजेंसियों और निजी स्रोतों से संसाधन प्राप्त होंगे।

सरकार का कुल वित्तीय संसाधन, राज्य के स्वयं के कर तथा गैर-कर राजस्व, केंद्रीय करों में इसका हिस्सा, इसकी गैर-पूंजीगत प्राप्तियां और इसके द्वारा किए गए राजकोषीय घाटे से प्राप्त होगा। इसमें केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहायता और हस्तांतरण अनुदान भी शामिल होगा।

यद्यपि राज्य के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व तथा राजकोषीय घाटा इसके नोमिनल जी.एस.वी.ए. पर निर्भर है, केंद्रीय करों में इसका हिस्सा मुख्य रूप से केंद्र के कुल विभाज्य पूल तथा पारस्परिक शेयर पर आधारित होता है, देश के नोमिनल जी.वी.ए पर निर्भर है।

झारखंड के नोमिनल जी.एस.वी.ए. में वर्ष 2017-18 से 2019 - 20 में प्रतिवर्ष 12 से 14.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है (सामान्य वर्षों में विकास दर में 13.2 प्रतिशत की पूर्व ट्रेंड तथा "मोमेंटम झारखंड" और सरकार के इसी तरह के अन्य विकास प्रयासों के कारण इसमें वृद्धि तथा मानसून की विफलता और अन्य आकस्मिक घटनाओं की वजह से कमी की उम्मीद के आधार पर गणना की गई है)।

सरकारी श्रोतों से संसाधन

स्वयं के श्रोत

सरकार का कर और गैर-कर राजस्व, जैसा कि पूर्व में वर्णित है, वर्तमान कीमतों पर राज्य के जी.एस.वी.ए पर निर्भर करता है। वर्ष 2016-17 में, राज्य का कर राजस्व 6.71 प्रतिशत था और राज्य की वर्तमान कीमतों पर गैर-कर राजस्व जी.एस.वी.ए का 3.93 प्रतिशत था। इन दरों पर राज्य का अपना कर राजस्व वर्ष 2018-19 में रु. 210 सौ करोड़ से रु. 218 सौ करोड़, वर्ष 2019-20 में रु 235 सौ करोड़ से रु. 249 सौ करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में रु. 264 सौ करोड़ से रु. 285 सौ करोड़ अनुमानित है। इसी तरह, राज्य का गैर कर राजस्व वर्ष 2018-19 में रु. 123 से रु. 127 सौ करोड़, वर्ष 2019 -20 में रु. 137 से रु. 146 सौ करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में रु. 154 से रु. 167 सौ करोड़ की सीमा में होने की उम्मीद है।

राज्य की गैर-ऋण पूंजी की प्राप्ति का आकलन राज्य के जी.एस.वी.ए 0.0185 प्रतिशत पर की गई है और राज्य की राजकोषीय घाटा वर्तमान मूल्यों पर 3.25 प्रतिशत की जी.एस.डी.पी की दर (वर्तमान मूल्य पर), (14 वीं वित्त आयोग द्वारा स्वीकार्य दर), से गणना की गई है। इन दो स्रोतों से वर्ष 2018-19 में रु. 111 सौ

करोड़ से रु. 115 सौ करोड़,वर्ष 2019-20 में रु. 124 सौ करोड़ से रु. 131 सौ करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में रु. 139 सौ करोड़ से रु. 150 सौ करोड़ अतिरिक्त राशि संभावित है।

केन्द्रीय कर और अनुदान सहायता में हिस्सा:- राज्य को वर्ष 2018-19 में रु. 280 सौ करोड़, वर्ष 2019-20 में रु. 325 सौ करोड़ तथा वर्ष 2020-21 में रु. 376 सौ करोड़ केन्द्रीय करों में एक हिस्से के रूप में [3.139 प्रतिशत की दर से अनुमानित, जो विभाज्य पूल में झारखण्ड का पारस्परिक हिस्सा (inter se share) है] मिलने की उम्मीद है। राज्य को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में क्रमशः रु. 18 सौ करोड़, रु. 24 सौ करोड़ एवं रु. 27 सौ करोड़ मिलने की उम्मीद है।

SDRF में केन्द्रांश के रूप में अतिरिक्त रु. 4 सौ करोड़ प्राप्त होने की संभावना है (ये सभी अनुमान 14 वें वित्त आयोग द्वारा किये गये अनुमानों पर आधारित है)।

केन्द्र प्रक्षेत्रीय योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केन्द्रीय अंतरण (Transfer):- शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सिंचाई, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने, ग्रामीण विकास के अन्य आयामों तथा कल्याण एवं सामाजिक कल्याण सुनिश्चित राज्य में केन्द्र प्रक्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निधि प्राप्त होती है।

नीति आयोग द्वारा उनके 'तीन वर्षों की कार्य योजना' संबंधी दस्तावेज में वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में इन क्षेत्रों में अपने खर्चों में वृद्धि के कुछ अनुमान लगाया गया है। हमें उम्मीद है कि इन क्षेत्रों से संबंधित केन्द्र प्रक्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए उसी दर से झारखण्ड को राशि विमुक्त की जाएगी। तदनुरुप वर्ष 2018-19 के लिए रु. 9405.79 करोड़, वर्ष 2019-20 के लिए रु. 11064.75 करोड़ प्राप्त होगा। ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020-21 के लिए रु. 12724.46 करोड़ रु. प्राप्त होने की संभावना है।

नीति आयोग द्वारा चिह्नित किए गए महत्वाकांक्षी/ पिछड़े जिलों के विकास के लिए भारत सरकार से अधिक आवंटन के लिए प्रयास किया जाएगा।

जिला खनिज फंड (District Mineral Fund):
उपर्युक्त संसाधनों के अतिरिक्त, राज्य को जिला खनिज विकास कोष के रूप में भी राशि प्राप्त होगी।

राज्य का अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन
सरकारी स्रोतों के अलावा राज्य को विकास के लिए वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय एजेंसियों और निजी क्षेत्रों से वित्तीय संसाधन भी प्राप्त होंगे।

सितंबर 2016 में संस्थागत वित्तीय स्रोतों से कुल अग्रिम रूपये रु. 103 हजार करोड़ था । यदि यह 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर (पूर्व ट्रैंड तथा राज्य के वर्तमान विकास प्रयासों के आधार पर अनुमानित) से बढ़ता है, तो यह बढ़कर वर्ष 2018 में रु 138 हजार करोड़, 2019 में रु 161 हजार करोड़, 2020 में रु. 187 हजार करोड तथा वर्ष 2021 में रु 217 हजार करोड़ होने की संभावना है।

S. No.	Resources	Proposed Resources (INR '00 crores)			
		FY 18-19	FY 19-20	FY 20-21	
1	State Own Tax	210~218	235~249	264~285	
2	State non tax	123~127	137~146	154~167	
3	Non-debt Capital Receipt & Fiscal Deficit	111~115	124~131	139~150	
4	Share in Central Taxes	280	325	376	
5	Grants in Aid	18	24	27	
6	Centre's transfer	9406	11065	12724	
	Resources	**2018**	**2019**	**2019**	**2020**
7	Other Sources	1380	1610	1870	2170

एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय एजेंसियों से राज्य को एक बड़ी राशि प्राप्त होने की उम्मीद है। निजी स्रोतों से भी राज्य में निवेश करने की संभावना है। ये सारे निवेश राज्य की तीन साल की कार्य योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगा।

अभिसरण हेतु नीति और कार्य योजना

राज्य सरकार का यह मानना है कि विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण में बदलाव के लिए अभी ही उपयुक्त समय है। विकास के एजेंडे को "मिशन या परियोजना" मोड पर बहु-क्षेत्रीय अभिसरण के माध्यम से गति प्रदान की जाएगी जहां राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग एवं उपक्रम सम्मिलित होंगे। स्थानीय स्वशासित संस्थानों, नागरिक सामाजिक संगठन, कॉर्पोरेट्स, तकनीकी विशेषज्ञ, विकास के अन्य साझेदार तथा प्रमुख हितधारक से भी सहयोग की अपेक्षा की जाएगी।

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीति-स्तरीय अभिसरण तथा उत्तरदायित्व निर्धारण का नेतृत्व मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा।

विकास आयुक्त के कार्यालय से अभिसरण को अभिप्रेरित किया जाएगा। संबंधित विभागों के सचिवों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्षेत्रीय इकाईयाँ (Lower Formations) विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को एक अभिसरित मोड (Convergence Mode) में लागू करें जैसा कि इस कार्य योजना दस्तावेज में उल्लिखित है।

लाभुक तथा नागरिक विकास के एजेंडे के केन्द्र में होंगे जिस हेतु सरकार तथा अन्य हितधारक उनके विकास चुनौती का सामना करने के लिए सर्वोत्तम संभावित समाधान हेतु सामंजस्य स्थापित करेंगे।

नागरिकों के विकास एवं उनकी उन्नति के लिए अभिसरण पहल के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्रवाईयाँ निम्नवत हैं:

- इस लक्ष्य एवं कार्य योजना दस्तावेज के अनुरूप स्पष्ट समय-सीमा एवं भूमिकाओं के साथ 'मिशन या परियोजना' मोड पर कार्यान्वित किए जाने वाले महत्वपूर्ण विकास परिणामों (Outcome) की पहचान करना।
- इस महत्वाकांक्षी एजेंडे को लागू करने में परंपरागत समन्वय समितियां की क्षमता में कमी को दृष्टिगत रखते हुए सशक्त अंतर-विभागीय कार्रवाई समूहों (Inter Departmental Action Groups) की स्थापना, जिसमें मिशन मोड परियोजनाओं के लिए विभाग विशेष को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाना।
- प्रभावी डेलीवरी (Delivery) तथा उद्देश्यपूर्ण अनुश्रवण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- कार्य एजेंडे में अभिसरण को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार में प्रक्रियाओं की Reengineering तथा न्यून स्तरों (Lower Levels) पर निर्णय क्षमता का विकास (यथासंभव सभी स्तरों पर विवेकाधीन शक्तियों को कम करने / समाप्त करना)
- विकेंद्रीकृत योजना, कार्यान्वयन तथा समन्वय के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थानों को सुदृढ़ बनाना तथा उनका क्रमिक सशक्तिकरण और उन्हें शक्तियों का अंतरण (Devolution of Powers) सुनिश्चित करना ।
- कार्यान्वयन तथा अभिसरण में सुगमता के लिए स्पष्ट रूप से प्रलेखित संचालन प्रक्रियाओं (Clearly Documented Operating Procedure) का निरुपण तथा इस हेतु संसाधन आवंटन / प्रबंधन तंत्र में उचित परिवर्तन करना।

कुशल और प्रभावी शासन

राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रशासकीय गुणों को प्रमुखता दी जाएगी:

- उत्तरदायित्व
- पारदर्शिता
- निष्पक्षता (Equity)
- सहभागिता

शासन प्रणाली में बदलाव लाने के लिए गतिविधियाँ निम्नवत होंगी-

- विभिन्न सरकारी तंत्रों के बीच लेयर्स तथा अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करने के लिए शासन प्रणाली का पुनर्गठन एवं संरचनात्मक परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दिया जाना।
- अंतर-विभागीय अभिसरण के साथ महत्वपूर्ण विकास परिणामों के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाया जाना, जैसा की पूर्व में वर्णित है।
- पारदर्शिता लाने और अनुश्रवण में सुगमता लाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन।
- सभी प्रमुख नागरिक सेवाओं, राज्य सरकार को देय राशि तथा केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं तक पहुंच प्रदान के लिए 'झारखंड वन' डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना; इस मंच के द्वारा वर्ष 2020 तक कम से कम 20 नागरिक सेवाएं प्रदान किया जाएगा।
- विकेंद्रीकृत योजना को प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय स्वशासन इकाइयों के कर्मियों की क्षमता अभिवृद्धि तथा 11 वीं अनुसूची के अनुसार सभी 29 शक्तियों का अंतरण।
- नागरिक सामाजिक संगठन , निजी क्षेत्र और अन्य विकास सहयोगियों का सह-चयन (Co-opting)
- सेवा प्रदान करने की गारंटी (Guarantee of Service Delivery)

यह प्रतिवेदन राज्य विकास परिषद् की उप समिति द्वारा तैयार किया गया है। उप समिति निम्न सम्मिलित थे**:**

1.	श्री टी. नन्द कुमार, भा. प्र. से. (सेवानिवृत)	अध्यक्ष
2.	पद्यमश्री अशोक भगत	सदस्य
3.	श्री अमित खरे, विकास आयुक्त, झारखण्ड	सदस्य
4.	डॉ. रमेश शरण	विशेष आमंत्रित सदस्य
5.	डॉ. हरिश्वर दयाल	विशेष आमंत्रित सदस्य